स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–22, अंक–3, फाल्गुन–चैत्र 2070–71, मार्च 2014

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा – पृष्ठ–6

पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोइली द्वारा हाल ही में फरवरी 28 को अनुवांशिकीय अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति' द्वारा अनुमोदित जिन फसल प्रजातियों के परीक्षण की छूट दी गयीं है, वे 200 से अधिक हैं। इतनी बड़ी संख्या में जी.एम. फसल प्रजातियों का परीक्षण किये जाने पर इन फसलों के परीक्षण की अवधि में आस–पास के वानस्पतिक जगत के जैव द्रव्य के प्रदूषण की प्रबल सम्भावनायें बन गयीं हैं।

कवर पेज

अ नु क्र म

आवरण कथा :
यूपीए सरकार का जी.एम. फसलों का खतरनाक खेल
– भगवती प्रकाश /6

कृषि : किसान और उपभोक्ता के बीच उलझी हमारी कृषि
– डॉ. भरतझुनझुनवाला /8

सामयिकी : हमारे बाजार पर चीन का बढ़ता कब्जा
– सतीश पेड़णोकर /10

चर्चा : चीन की बढ़ती दबंगई
– ब्रह्म चेलानी /12

बजट समीक्षा
नाकामी सरकार का फिर सत्ता लालची बजट
– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल /14

करों की मार से सभी बेहाल
– निरंकार सिंह /17

समस्या : महंगाई से राहत बस नाम भर की. . .
– आलोक पुराणिक /20

विचार–विमर्श : साकार हुआ नदियों को जोड़ने का सपना
– प्रमोद भार्गव /22

अभिव्यक्ति : राज्यों के गठन का मापदंड बनाइए
– जवाहरलाल कौल /24

मुद्दा : भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ दिखावटी जंग
– अरविन्द जयतिलक /26

भ्रष्ट–तंत्र : अलविदा! भ्रष्ट यूपीए–2 सरकार
– बलवीर पुंज /28

शिक्षा : जनजाति क्षेत्र में महिला शिक्षाः आवश्यकता, समस्याएं एवं समाधान
– डॉ. अनामिका पाण्डे /34

पर्यावरण : जल संसाधनों की वैश्विक स्थिति
– डॉ. कुमकुम जैन /35

स्वास्थ्य
बेहतर स्वास्थ्य सुधारने के उपाय बढ़ाने होंगे
– भारत डोगरा /36

पाठकनामा/2, समाचार/30, आंदोलन/38

पाठकनामा

महिलाओं के सम्मान के लिए अश्लील विज्ञापनों पर लगे रोक

टीवी चैनलों और अखबारों में अश्लील विज्ञापनों का कारोबार दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज बड़ी–बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां इस प्रकार के विज्ञापन देकर अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए करती है। परन्तु कभी उन्होंने इस विचार पर नहीं सोचा कि महिलाओं को ऐसे दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से समाज पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? एक तरफ हम सभी लोग पश्चिमी सभ्यता का विरोध करते हैं दूसरी ओर इन विज्ञापनों को देखकर क्यों चुप बैठ जाते हैं? क्या कभी किसी ने सोचा ऐसे विज्ञापन दिखाने से महिलाओं के सम्मान पर कितनी ठेस पहुंचाती है? केन्द्र और राज्य सरकारें जहां महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती है वही महिलाओं के अश्लील विज्ञापनों पर रोक क्यों नहीं लगाती है। अब समय आ गया है कि भ्रष्टतंत्र सरकार को दुबारा आने का मौका ही नहीं दे और महिलाएं ऐसी सरकार चुनें जो महिला सशक्तिकरण के साथ–साथ महिलाओं को सम्मानजनक अधिकार भी उपलब्धि कराए।

– ज्योति राय, द्वारका

समय आ गया है कि अब देश के लिए वोट करें

यूपीए–2 सरकार ने एक दशक में क्या दिया? भ्रष्टाचार, कालाधन, बेरोजगारी, खुदरा व्यवसाय को समाप्त करने के लिए एफडीआई, कृषि के उत्पादों को दिन प्रति दिन महंगा करना, बढ़ती महंगाई और सरकारी तंत्र को खोखला करना। इतना सबकुछ होने के बाद भी यह सरकार जनता के सामने फिर से जा रही है कितने शर्म की बात है! देश की अर्थव्यवस्था को बीच मझधार में फँसकर लोगों को अपनी प्रशंसा की बात सुना रही है। जनता समझ चुकी है ऐसी भ्रष्टचारी पार्टी के बारे में।

आज केवल नरेन्द्र मोदी की बातों में आशा की किरण जनता को नजर आ रही है। उनकी प्रत्येक रैली में जनता का सैलाब देखने को मिल रहा है। गुजरात में जैसे उन्होंने विकास किया है उसे भारत की जनता जानती है। आने वाला चुनाव जनता के लिए एक अच्छा मौका है। राष्ट्र के प्रति भावनाओं और राष्ट्र के सामने खड़ी चुनौतियों को बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चला सकती है वो केवल भाजपा ही एकमात्र पार्टी है इसलिए देश के लिए वोट भाजपा को ही वोट दें।

– अजय कुमार बिष्ट, करतार नगर, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

अतंरिम बजट यूपीए सरकार का सिर्फ चुनावी हथकंडा है। कुछ लोगों को मूर्ख बनाना संभव है लेकिन सबको नहीं।

– ममता बनर्जी

राजनीतिक दलों और मतदाताओं से अपील है कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराने में चुनाव आयोग की मदद करें।

– वी.एस. संपत

मैं देशवासियों से अपील करता हूँ कि भारत के लिए वोट करें और सही चुनाव करें।

– नरेन्द्र मोदी

खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मसले पर हमारी चिंता अभी भी कायम है। यह कहना ठीक नहीं है कि इस मसले पर भाजपा की नीति में बदलाव आ गया है और उसका रुख नरम हो गया है।

– अरुण जेटली

विकास के लिए गंगा की अविरलता से छेड़छाड़ उचित नहीं है। गंगा व पर्यावरण की स्वच्छता के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है ताकि इसे प्रदूषणमुक्त किया जा सके।

– सुशील कुमार शिंदे

संप्रग सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। प्रधानमंत्री निजी तौर पर भले ही बेदाग हों, किंतु कोयला घोटाले से उनकी विश्वसनीयता को भी क्षति पहुंची है।

–बलवीर पुंज

संपादकीय

मौलिक सोच की जरूरत

देश इस समय ऐसे दौराहे पर खड़ा है, जहां एक रास्ता भारत को परम वैभव तक पहुंचा सकता है, तो दूसरा रास्ता रसातल की ओर ले जा सकता है। भारत में ना तो संसाधनों की कमी है, न ही मानवीय प्रतिभा की। दुनिया में आज सबसे ज्यादा युवा हमारे पास हैं। भारी मात्रा में खनिज संपदा भी हमारे यहां है। प्रकृति ने हमें हर तरह की कृपा प्रदान की है। फिर भी हम दुनिया के बड़े देशों से लगातार पिछड़ते रहे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से भी। वर्ष 2014 का यह आम चुनाव हमें यह अवसर प्रदान कर रहा है कि हम पिछड़ेपन से आजाद होकर विकास का एक नया अध्याय खोलें। इसके लिए जरूरत है मौलिक सोच की और अभी तक आर्थिक क्षेत्र में जो कुछ भी घटित हुआ है उसका सबसे ज्यादा कारक न सिर्फ विदेशी पूंजी बल्कि विदेशी पूंजी पर भी आवश्यकता से अधिक निर्भरता है। यूँ तो देश की आजादी के बाद ही हमारी आर्थिक नीति मूल भावना के विपरीत विदेशी अर्थव्यवस्था की नकल रह गई। लेकिन हाल के दिनों में हद तब हो गई है कि अब हम सिर्फ बड़ी विदेशी कंपनियों के अधीन होकर रह गए हैं। पहले डंकल प्रस्ताव, फिर डब्ल्यूटीओ और अब अमरीकी प्रशासन का खुला दबाव हमारी आर्थिक नीतियों को गुलाम बना रहा है। आज देशी क्षेत्र से लेकर बाजार तक पर अमरीकी नीति या कंपनियों का कब्जा है। भारतीय शेयर बाजार पर हमारा कोई अंकुश नही, भारतीय मुद्रा बाजार पर सटोरियों का दबाव है, प्रमुख उद्योग क्षेत्रों पर विदेशी कंपनियां हावी है, तो सेवा क्षेत्र में भी हमारी साख धीरे–धीरे कम हो रही है। भारत सरकार इन सबसे छुटकारा नहीं पा रही है और शायद पाना भी नहीं चाहती। एक तरह से देखें तो 10 साल की यूपीए की सरकार ने हथियार पूरी तरह से विदेशी कंपनियों या बाहरी सरकारों के समक्ष डाल रखे हैं। हमारे यहां मंदी पसरने का कोई कारण नहीं है। भारत का इतना बड़ा उपभोक्ता बाजार मंदी से लोहा लेने के लिए काफी है। लेकिन सरकार की नाकामी एवं नाकारापन के कारण मंदी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी गई है। समय आ गया है कि अब हम देश की आंतरिक क्षमता और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर नए सिरे से अपनी नीतियां बनाएं। 125 करोड़ की जनता जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक युवा है, के लिए कोई न कोई रोजगार के अवसर या उद्योग धंधे की संभावनाएं बनें। कुटीर उद्योग से लेकर बड़े उद्योगों तक में संगठनात्मक संरचना बनाएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को समायोजित किया जा सके। कृषि को लाभप्रद उद्यम के रूप में विकसित करना चुनौती है, तो यह सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। आज खेती से मोहभंग जिस तरह से हो रहा है, उससे आने वाले दिनों में न सिर्फ खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा होगा बल्कि नकारात्मक सोच के साथ बेरोजगार युवाओं की एक बड़ी फौज तैयार हो जाएगी, जो अंततः सामाजिक संरचना एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरनाक सिद्ध होगी। देश को मौजूदा आर्थिक बदहाली से अगर निकालना है तो हमें निर्माण क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। कल–कारखानें जैसे बीते हुए कल की बातें हो गई है। केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपने–अपने उद्यमों पर निवेश लगभग बंद कर चुकी है। निजी क्षेत्र अपने लाभ हानि का हिसाब कर यहां उद्योग लगाने की बजाए चीन और अन्य देशों की तरफ भागने लगा हैं। नई सरकार के सामने सबसे पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि चीन की तरह भारत भी निर्माण उद्योग का एक बड़ा केन्द्र बनें। करों एवं शुल्कों को सरल बनाने के साथ साथ यदि भ्रष्टाचारी प्रशासन पर भी अंकुश लगे तो कोई कारण नहीं कि देश का निर्माण उद्योग फले–फूले नहीं। अलग–अलग राज्यों में वहां के संसाधानों पर विदेशी कंपनियां कब्जा कर बड़े–बड़े उद्योग लगा सकती है तो भारतीय कंपनियां क्यों नहीं। जिस तरह से संसाधन छिनने के भय के कारण सामाजिक विद्रोह उत्पन्न हो रहा है, उससे भी निपटने का सबसे आसान तरीका भी यही होगा कि स्थानीय संसाधनों के साथ स्थानीय लोगों को उद्योग लगाने की प्राथमिकता मिले। सुरक्षा के क्षेत्र में भी लगातार यह देखने को आ रहा है कि विदेशी कंपनियां अपने आयुध उपकरणों एवं तकनीक के मामले में लगातार हमारे देश को लूट रही है। जितने भी रक्षा सौदे हाल के दिनों में सामने आए हैं उनमें लगभग सभी में भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए हैं। हाल ही में भारत रत्न प्राप्त रक्षा वैज्ञानिक सी.एन. राव ने यह खुलकर कहा था कि भारतीय रक्षा अनुसंधान को पर्याप्त संसाधन मिलें तो आधे से भी कम कीमत पर भारत अपनी रक्षा की मुकम्मल तैयारी कर सकता है। चुनाव में जनता के समक्ष जाने वाली सभी पार्टियों को यह विचार करना चाहिए कि क्या अब भी भारतीय पूंजी, भारतीय तकनीक एवं भारतीय श्रम को नीचा दिखाकर कर देश तरक्की कर सकता है?

यूपीए सरकार का जी.एम. फसलों का खतरनाक खेल

पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोइली द्वारा हाल ही में फरवरी 28 को 'अनुवांशिकीय अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति' द्वारा अनुमोदित जिन फसल प्रजातियों के परीक्षण की छूट दी गयीं है, वे 200 से अधिक हैं। इतनी बड़ी संख्या में जी.एम. फसल प्रजातियों का परीक्षण किये जाने पर इन फसलों के परीक्षण की अवधि में आस–पास के वानस्पतिक जगत के जैव द्रव्य के प्रदूषण की प्रबल सम्भावनायें बन गयीं हैं।

■ भगवती प्रकाश

देश में जैव रूपान्तरित फसलों अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के परीक्षण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन होने पर भी पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोयली ने इनके परीक्षण की अनुमति देकर देश के पारिस्थितिकी तंत्र के सम्मुख एक गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है। देश के सम्पूर्ण वानस्पतिक जगत, उसके जैव द्रव्य और जीव सृष्टि के सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिये गंभीर चुनौति उत्पन्न करने वाले इन परीक्षणों पर रोक लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के कारण बताओ नोटिस की भी अनदेखी कर आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले अनुमति दे देना अत्यन्त सन्देहास्पद है।

इन परीक्षणों के विरुद्ध सुनवाई के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने भी इन परीक्षणों पर रोक की अनुशंसा की है। छह विशेषज्ञों की इस समिति में केवल एक सरकारी प्रतिनिधि का ही रोक लगाने के प्रति विमत था और इस एक विमत के चलते ही सर्वोच्च न्यायालय ने इन परीक्षणों पर तत्काल रोक लगाने के स्थान पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसका उत्तर देकर न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने के स्थान पर, मोइली द्वारा इन घातक परीक्षणों को अनुमति दे देने के पीछे, ऐसी फसलों से अरबों रुपये के कारोबार के लिये लालायित विदेशी कम्पनियों के दबाव का प्रभाव ही दृष्टिगोचर होता है।

किसी फसल में कोई इच्छित गुण प्रकट करने के लिये, उस वांछित गुण से युक्त पौधे या जन्तु उस गुण के कारक वंशाणु या जीन को प्रत्यारोपित करने पर उस बाहरी वंशाणुयुक्त नयी फसल प्रजाति को जैव रूपान्तरित या जी.एम. फसल कहते हैं। उदाहरण के लिये टमाटर को पाले से बचाने के लिये टमाटर की फसल में, बर्फीले समुद्र में पायी जानेवाली मछली को बर्फ की ठंडक से बचाने वाली जीन या वंशाणु को प्रत्यारोपित करके, पाला रोधी (फ्रोस्ट रेजिस्टेण्ट) टमाटर विकसित किया गया है। इसी प्रकार कपास के डोडा कीट को मारने में सक्षम विष उत्पादक बैक्टीरिया 'बेसिलस थोरेंजियेंसिस' के, इस विष के कारक वंशाणु या जीन को कपास में प्रत्यारोपित करके ऐसा बी.टी. कपास विकसित किया है, जिससे उस कपास में उस कीट के प्रतिरोध की आंशिक सामर्थ्य आ जाती है। वैसे यह अलग बात है कि अब वह डोडा कीट ऐसे 'सुपर कीट' में संवर्द्धित हो गया है कि वह अब बी.टी. कपास के उस विष को भी सह लेता है।

हाल में ऐसी कीटरोधी या खरपतवारनाशक रोधी विशेषताओं से युक्त सैकड़ों जैव रूपान्तरित फसल प्रजातियाँ मक्का, सरसों, कपास, बैंगन, सोयाबीन, अरण्डी, चावल, गेहूँ, आदि की तैयार की गयी हैं। पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोइली द्वारा हाल ही में फरवरी 28 को 'अनुवांशिकीय अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति' द्वारा अनुमोदित जिन फसल प्रजातियों के परीक्षण की छूट दी गयीं है, वे 200 से अधिक हैं। इतनी बड़ी संख्या में जी.एम. फसल प्रजातियों का परीक्षण किये जाने पर इन फसलों के परीक्षण की

जी.एम. फसलों के महंगे बीज, जिनके बदले में किसान बड़ी कम्पनियों के लिये ठेके पर खेती के लिये भी बाध्य हो सकते हैं, उन लाखों करोड़ का कारोबार करने को लालायित कम्पनियों के दबाव में, जब चुनाव निकट हैं, इन जी.एम. फसलों के परीक्षण की अनुमति देने का हेतु क्या हो सकता है? इसका अनुमान पाठक स्वयं ही लगा सकते हैं।

अवधि में आस–पास के वानस्पतिक जगत के जैव द्रव्य के प्रदूषण की प्रबल सम्भावनायें बन गयीं हैं।

वस्तुतः खुले खेतों में इन जैव रूपान्तरित फसलों के परीक्षण की दशा में इन फसलों के पराग कणों विकीरण हवा से या मधुमक्खियों के साथ चिपक कर 2–3 किलोमीटर क्षेत्र में हो जाने पर आस–पास की साधारण फसलों या अन्य किन्ही पादप प्रजातियों का परा–परागण (क्रास पालिनेशन) व उनके पुष्पों का परा–निषेचन (Cross fertilisation) इन जी.एम. फसलों के पराग कणों (Pollens) से हो जाने पर ये बाहरी वंशाणु या जीन उन फसलों या पादपों के जैव द्रव्यों को अनजाने में ही प्रदूषित कर सकते हैं। ऐसा परा–परागण या परा निषेचन वनस्पति जगत में सामान्यतया नहीं, लेकिन, अपवाद स्वरूप हो जाना असम्भव नहीं है। वरन, ऐसा होता भी रहा है। इस प्रकार पर–परागण या परा–निषेचन की संभावना को निर्मूल करने हेतु ही जी.एम. फसलों में टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी अर्थात बाँझ बीजों का उपयोग सुझाते हैं। ऐसा करने से इन पौधों के पराग कण नपुंसक हो जाते हैं, जिनसे निषेचन या परा–निषेचन ही सम्भव नहीं हो सकता है।

लेकिन, भारत में टर्मिनेटर या बाँझ बीजों का उपयोग नहीं सुझाया जा सकता है। क्योंकि, तब किसानों को उनकी फसल से बीज नहीं प्राप्त हो सकेगा और प्रतिवर्ष वे महंगा बीज खरीदने में सक्षम नहीं है। परागकणों के विकीरण को रोकने के लिये ये परीक्षण खुले में न कर काँच या पी.वी.सी. के ग्रीन हाउस में ही किये जाने चाहिए।

परीक्षण के बाद इन फसलों की खेती की दशा में भी जैव रूपान्तरित फसलों में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की सम्भावनायें भी बनी रहती है। इन फसलों में संभवतः हजारों वर्षों में भी उत्परिवर्तन नहीं हो और यह भी सम्भव है कि वर्ष–दो वर्ष में या कभी भी कोई भी अच्छा या बुरा उत्परिवर्तन हो सकता है। उत्परिवर्तन की दशा में ही वह फसल अधिक गुणकारी या एलर्जी पैदा करनेवाली अथवा विषैली हो सकती है। इस प्रकार का उत्परिवर्तन कब होगा व कैसा होगा या नहीं होगा, इसका कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिये बिना टर्मिनेटर या बाँझ बीजों के बिना इनकी खेती करना जन स्वास्थ्य व हमारे जैव द्रव्य की शुद्धता के लिए खतरनाक है। टर्मीनेटर या बाँझ बीजों से किसान को बीज विहीन कर देना भी खतरनाक होगा।

परीक्षणों के बाद व्यापारिक स्तर पर इन्हें उगाने पर ये खाद्य कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसके भी कुछ उदाहरणों व प्रयोगों का उल्लेख यहाँ आवश्यक है। अनेक प्रयोगों में जी.एम. टमाटर से चूहों के आमाशय में रक्तस्राव, बी.टी. आलू से चूहों में आंत्रक्षति, बी.टी. मक्का से सूअरों व गायों में वन्ध्यापन, आर. आर. सोयाबीन से चूहों, खरगोशों आदि के यकृत, अग्न्याशय आदि पर दुष्प्रभाव आदि के अनेक मामले प्रायोगिक परीक्षणों के सामने आये हैं। जी.एम. फसलों से व्यक्ति में एंटीबायोटिक दवाओं के विरूद्ध प्रतिरोध उपजना, कोषिका चयापचय (सेल मेटाबालिज्म) पर प्रतिकूल प्रभाव आदि जैसी अनेक जटिलताओं के भी कई शोध परिणाम सामने आये हैं। बी.टी. कपास की चराई के बाद कुछ भेड़ों के मरने आदि के भी समाचार आते रहे हैं। जी. एम. फसलों या खाद्य के अनगिनत दुष्प्रभावों के परिणाम प्रयोगों में सामने आते रहे हैं।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि एवेण्टिस कम्पनी की स्टार लिंक नामक जी. एम. मक्का खाने से जापान व कोरिया में एलर्जी की समस्या उत्पन्न हुयी थी। उसी मक्का को अमरीका में एक खाद्य उत्पादक को बेच देने के एक ही मामले में एवेण्टिस को छः करोड़ डालर (आज की विनिमय दर पर लगभग रु. 400 करोड़ तुल्य) की क्षतिपूर्ति का भुगतान वर्ष 2000 में करना पड़ा था। अब जी. एम. मक्का को पशुओं को ही खिलाया जाता है। लेकिन, उनका दूध भी निरापद नहीं है।

हाल ही में 12 नवम्बर 2012 को आस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने 'फ्रेन्केन' नाम जैव रूपान्तरित गेहूँ के बारे में चेतावनी देते हुये कहा है कि इस गेहूँ से यकृत खराब (लीवर फैल्यर) हो सकता है। पागलपन या खानेवाले की अनुवांशिकी पर भी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। इस गेहूँ में बाहरी वंशाणु (जीन) प्रवेश कराने के स्थान पर इसी के कुछ वंशाणु अवरूद्ध (जीन ब्लाक) किये गये हैं।

जी.एम. फसलों के उपरोक्त प्रत्यक्ष दुष्प्रभावों के अतिरिक्त देश में प्रत्येक फसल की प्रजातियों में जो अथाह विविधता है और जिसके कारण प्रत्येक प्रजाति में प्रकृति में आनेवाली विभिन्न चुनौतियों के विरुद्ध प्रतिरोध की भिन्न–भिन्न प्रकार की विविधतापूर्ण सामर्थ्य है। उनके स्थान पर एक ही जी. एम. फसल लेने पर हमारी विविध वैशिष्ट्य वाली जैविक निधि विलोपित हो जायेगी। इसके अतिरिक्त पराग कण विकीरण की सम्भावनाओं के चलते क्या इनके खुले परीक्षण के लिये कदम बढ़ाने चाहिये ? एक बार किसी देश की कृषि व उसकी कृषि फसलों सहित सम्पूर्ण वानस्पतिक जगत के जैव द्रव्य के प्रदूषण से होनेवाली क्षति की पूर्ति क्या कभी भी सम्भव हो सकेगी ? यदि नहीं तो वीरप्पा मोइली का यह निर्णय तत्काल उलटना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राज्यों को अपने अधिकारों का उपयोग कर इन परीक्षणों को अनुमति नहीं देनी चाहिये।

जी.एम. फसलों के महंगे बीज, जिनके बदले में किसान बड़ी कम्पनियों के लिये ठेके पर खेती के लिये भी बाध्य हो सकते हैं, उन लाखों करोड़ का कारोबार करने को लालायित कम्पनियों के दबाव में, जब चुनाव निकट हैं, इन जी.एम. फसलों के परीक्षण की अनुमति देने का हेतु क्या हो सकता है? इसका अनुमान पाठक स्वयं ही लगा सकते हैं। ❑

किसान और उपभोक्ता के बीच उलझी हमारी कृषि

कृषि उत्पादों के दाम उंचे बने हुये हैं और उपभोक्ता परेशान हैं। वास्तव में सरकार को निर्यात प्रतिबंधों का उपयोग अल्प समय के लिये करना चाहिए। जैसे कभी सट्टेबाजी के कारण विश्व बाजार में दाम बढ़ रहे हों तो अल्प समय के लिये प्रतिबन्ध लगाना उचित होगा जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को अनावश्यक उथल पुथल से बचाया जा सके। परन्तु गेहूं के निर्यात् पर कई वर्षों तक प्रतिबन्ध लगाये रखना घातक हो रहा है चूंकि किसानों को उंचे दाम न मिलने से वे आधुनिक तकनीकों में निवेश नहीं कर पा रहे हैं।

■ डॉ. भरतझुनझुनवाला

आगामी चुनाव में किसानो का वोट हासिल करने को पार्टियों में होड़ लगी हुयी है। किसानों को ऋण एवं अन्य सुविधायें देने का वायदा किया जा रहा है। ये सुविधायें वास्तव में किसानों के लिये भटकाव हैं। किसान के हित का असल मुद्दा कृषि उत्पादों का दाम है। मुद्दा आयात निर्यात् नीति से जुड़ा हुआ है। अब तक की पालिसी रही है कि जब कृषि उत्पादों के घरेलू दाम उंचे होते हैं और इनसे किसानों को लाभ मिलने को होता है तो इनका आयात बंद कर दिया जाता है। बाजार में दाम गिर जाते हैं और किसान मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाता है।

दूसरी तरफ जब उत्पादन जादा होता है और घरेलू दाम न्यून होते हैं तो कृषि उत्पादों के निर्यात् की छूट नहीं दी जाती है। निर्यात् कर दें तो घरेलू दाम बढ़ जायेंगे और किसान घाटे से बच जायेगा। आगामी चुनाव में किसानों का मुद्दा आयात निर्यात् पालिसी का होना चाहिये न कि ऋण उपलब्धि जैसे मामूली विषय का।

बढ़ती कीमतों को लेकर उपभोक्ता परेशान रहता है। परन्तु वह भूल रहा है कि कुल मिलाकर कृषि उत्पादों का आयात निर्यात उपभोक्ता के हित में है। देश में खाद्य तेल और दाल की उत्पादन लागत जादा आती है। इनका भारी मात्रा में आयात हो रहा है जिनके कारण इनके दाम नियंत्रण में हैं। यदि हम विश्व बाजार से जुड़ते हैं तो हमे टमाटर प्याज के दाम ज्यादा देने होंगे जबकि तेल और दाल में राहत मिलेगी। मेरी समझ से उपभोक्ता के लिये तेल और दाल जादा महत्वपूर्ण है। अतः टमाटर और प्याज के उंचे दाम को

वहन करना चाहिये। ध्यान रहना चाहिये कि सब्जियों की मूल्य वृद्धि अल्पकालिक होती है जबकि तेल और दाल की मूल्य वृद्धि दीर्घकालिक होती है।

सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात पर बार–बार प्रतिबंध लगाए हैं। साथ–साथ किसानों को विभिन्न प्रकार से सब्सीडी दी है जैसे फर्टीलाइजर एवं बिजली में। यह पालिसी अनेक प्रकार से आत्मघातक है। इससे हमारी कृषि लगातार अकुशल बनी हुयी है और उपभोक्ता महंगा माल खरीदने को मजबूर है। सरकार ने 2007 में गेहूं और 2008 से गैर बासमती चावल पर लम्बे समय के लिये प्रतिबन्ध लगाये हैं। इन प्रतिबन्धों के कारण घरेलू दाम नियंत्रण में रहे। परन्तु लम्बे समय में यह हानिप्रद रहा है चूंकि किसान आधुनिक तरीकों को नहीं अपना पा रहा है। पुराने तरीकों से

सरकार का ध्यान कृषि के तकनीकी उच्चीकरण के स्थान पर सब्सिडी देकर अपनी राजनैतिक नैया को आगे बढ़ाना मात्र रह गया है। बुनियादी सुविधाओं में निवेश करते तो हमारे निर्यात बढ़ सकते थे। समय रहते हमें कदम उठाने चाहिये।

उत्पादन जारी रखने के कारण अपने देश में उत्पादन लागत लगातार उंची बनी हुयी है। इसी प्रकार सरकार द्वारा फर्टीलाइजर, बिजली और सिंचाई पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। इन सब्सिडी के कारण अल्पकाल में दाम न्यून बने हुये हैं परन्तु प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। जैसे बिजली सस्ती होने के कारण किसानों द्वारा पूरे खेत को पानी से भरकर सिंचाई की जाती है। स्प्रिंकलर अथवा ड्रिप की उन्नत किस्मों का उपयोग नहीं किया जाता है।

आर्थिक सुधारों को लागू करते समय सोच यह थी कि कृषि सब्सीडी में कटौती करके बुनियदी सुविधाओं या रिसर्च में निवेश बढ़ाया जायेगा। दोनों तरह से मूल्य नियंत्रण में आते हैं। सब्सिडी देने से सीधे एवं तत्काल उत्पाद के मूल्य कम हो जाते हैं। सिंचाई, सड़क , टेस्टिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं में निवेश से भी उत्पाद के दाम नियंत्रण में आते हैं। इन निवेश के परिणाम आने में समय लगता है परन्तु यह सुधार टिकाऊ होता है। जैसे किसान ने उन्नत बीज, तथा स्प्रिंकलर से खेती शुरू कर दी। इससे उत्पादन हर वर्ष अधिक होगा। तुलना में सब्सिडी का प्रभाव अल्पकालिक होता है। सब्सिडी हटा लेने के साथ दाम पुनः चढ़ने लगते हैं। जैसे बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो दो उपाय हैं। एक यह कि मास्टरजी से सिफारिश करके अंक बढ़वा लिये जायें। दूसरा यह कि उसकी पढ़ाई के लिये टेबल और लाइट की व्यवस्था कर दी जाये। वह सुगमता से पढ़ सकेगा तो सहज ही अंक अच्छे आने लगेंगे। इसी प्रकार हमें बुनियादी सुविधाओं में निवेश करना चाहिये न कि सब्सीडी में। लेकिन 1991 के सुधारों के बाद सब्सिडी पर खर्च दोगुना हो गया है जबकि बुनियादी सुविधाओं में निवेश में कटौती हुयी है। सरकार की इस आत्मघाती पालिसी के कारण देश में कृषि उत्पादों के दाम उंचे बने हुये हैं और उपभोक्ता परेशान हैं। वास्तव में सरकार को निर्यात प्रतिबंधों का उपयोग अल्प समय के लिये करना चाहिए। जैसे कभी सट्टेबाजी के कारण विश्व बाजार में दाम बढ़ रहे हों तो अल्प समय के लिये प्रतिबन्ध लगाना उचित होगा जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को अनावश्यक उथल पुथल से बचाया जा सके। परन्तु गेहूं के निर्यात् पर कई वर्षों तक प्रतिबन्ध लगाये रखना घातक हो रहा है चूंकि किसानों को उंचे दाम न मिलने से वे आधुनिक तकनीकों में निवेश नहीं कर पारहे हैं।

आने वाले समय में दो समस्याएं उत्पन्न होने को हैं। देश में बिजली और पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है। शहरीकरण और सड़कों के लिये भारी मात्रा में कृषि भूमि को खरीदा जा रहा है। पानी की समस्या और जादा विकराल है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में वर्षा तेज परन्तु कम समय के लिये होगी। ऐसी वर्षा का पानी धरती में कम समायेगा और समुद्र में जादा बहेगा। इस कारण ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई प्रभावित होगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहाड़ों पर बर्फ का पिघलना जारी है। बर्फ के पिघल जाने के बाद हमारी नदियों में पानी बहुत कम हो जायेगा। अतः जरूरी है कि हम भूमि और पानी का कुशलतम उपयोग करें। कम भूमि और कम पानी से अधिक उत्पादन लेने के लिये आधुनिक तकनीकों का सहारा लेना ही पड़ेगा। समय रहते इस दिशा में कदम उठाना चाहिये।

इन तमाम समस्याओं के बावजूद हमारे कृषि उत्पाद बढ़ रहे हैं। 2001 में हमारे कृषि निर्यात् 6 अरब डालर थे जो 2007 में 11 अरब हो गये थे। इनमें दो गुणा वृद्धि हुयी। लेकिन इसी अवधि में हमारे कुल निर्यात् तीन गुणा हो गये। यानि कुल निर्यातों में हमारे कृषि का हिस्सा फिसल रहा है। साथ–साथ हमारे कृषि आयात तेजी से बढ़ रहे हैं।

वर्ष 2002 से 2008 के बीच कृषि निर्यात्ों में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुयी जबकि कृषि आयातों में 161 प्रतिशत की। हमें बताया गया था कि डब्लूटीओ संधि के लागू होने पर कृषि निर्यात् बढ़ेंगे और हमारे किसानों के लिये नये अवसर खुलेंगे। हो रहा है इसके ठीक विपरीत। आयातों के कारण हमारे किसान घरेलू बाजारों से भी वंचित हो रहे हैं। इस समस्या के लिये डब्लूटीओ संधि नहीं बल्कि सरकार की कृषि पालिसी जिम्मेदार है। सरकार का ध्यान कृषि के तकनीकी उच्चीकरण के स्थान पर सब्सिडी देकर अपनी राजनैतिक नैया को आगे बढ़ाना मात्र रह गया है। बुनियादी सुविधाओं में निवेश करते तो हमारे निर्यात बढ़ सकते थे। समय रहते हमें निम्न कदम उठाने चाहिये। एक, कृषि उत्पादों के आयात निर्यात को सर्वथा खोलकर घरेलू मूल्यों को वैश्विक मूल्यों के अनुरूप होने देना चाहिये। दो, बुनियादी सुविधाओं और तकनीकी उच्चीकरण में निवेश करना चाहिये। तीन, विकसित देशों पर दबाव बनाना चाहिये कि वे कृषि सब्सिडी समाप्त करें जिससे हमारे किसानों के लिये निर्यात् के अवसर खुलें। यह किसान का चुनावी एजेन्डा होना चाहिये। ❑

हमारे बाजार पर चीन का बढ़ता कब्जा

भारत के मौजूदा विकास की सबसे बड़ी खामी ही यही है कि विकास की उच्चदर हासिल करने के बावजूद श्रमोन्मुख औद्योगिक क्रांति यहां नहीं आई। यदि ऐसा होता तो इसका लाभ उन लोगों को मिलता जो ग्रामीण क्षेत्र में अब भी गरीबी के दलदल में फंसे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में हमारी ताकत उच्च तकनीक और उच्च कौशल वाला उत्पादन है। सरकार अक्सर समवेत विकास की बात करती है लेकिन जब तक उसमें बड़े पैमाने पर श्रमोन्मुख औद्योगिक क्रांति नहीं जुड़ती, विकास को समवेत विकास नहीं कहा जा सकता।

■ सतीश पेड़णोकर

सन् 1962 के युद्ध में भारत चीन से सैनिक युद्ध में हार गया था और चीन ने हमारी हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था। अब हम अपनी ही जमीन पर चीन से व्यापार युद्ध में हार रहे हैं। हमारे देश के बाजार पर चीनी उत्पादों का कब्जा विकराल रूप ले चुका है। सारे बाजार तरह–तरह के चीनी सामान से पटे पड़े हैं। हर तरह का उपभोक्ता सामान हाजिर है कि बोलो क्या– क्या खरीदोगे? रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज के साथ दीवाली पर पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां, तो होली पर रंग खेलने के लिए तरह–तरह की पिचकारियां। यह एक तरह से चीन का हमारी अर्थव्यवस्था पर परोक्ष हमला है और हम उसके सामने झुकते जा रहे हैं। इसके उलट हम चीन के बाजार में घुसकर अपना सामान बेचने की महत्वाकांक्षा पालना तो दूर, अपने ही देश के बाजार में चीन के मुकाबले अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं।

विडंबना यह है कि देश के करोड़ों बेरोजगारों की क्षमता का उपयोग कर हम आम जरूरत का सामान भी नहीं बना पा रहे हैं। बाजार है, तभी तो चीन अपना माल धड़ल्ले से बेच रहा है। आक्रामक व्यापार नीति के कारण चीनी माल भारतीय बाजार पर छा गया। इस स्थिति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। होना तो चाहिए था कि भारतीय व्यापारी ऐसे माल से बाजार पाट देते कि जो चीनी माल की टक्कर ले सके लेकिन हमारे उद्योगपतियों ने पलायनवादी नीति अपनाई। नतीजे में हजारों लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग बंद हो गए। हमारी राजनीति में या आर्थिक जगत में यह कभी मुद्दा ही नहीं बन पाया कि आर्थिक महाशक्ति बनने के सपने देखनेवाला देश अपने ही देश में चीन के सामानों का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा है!

चीन के साथ सीमा विवाद पर दहाड़ने वाले नेताओं का ध्यान इस मुद्दे पर कभी जाता नहीं दिखता। देर–सबेर ही सही अब पिछले दिनों कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भी भारतीय उद्योगपतियों से सवाल किया था कि हमें दीवाली पर लक्ष्मी–गणेशजी की प्रतिमा, होली पर पिचकारी और रक्षाबंधन पर राखी जैसी वस्तुएं आयात क्यों करनी पड़ती हैं। निश्चित ही आर्थिक विशेषज्ञों को इस पर विचार करना चाहिए। राहुल के इस सवाल से बेशक अर्थजगत में हलचल नहीं हुई लेकिन अर्थशास्त्री अरविंद पनगारिया ने उन्हें एक अंग्रेजी अखबार में खुला पत्र लिखकर इसका जवाब देने की कोशिश की।

पनगारिया का जवाब स्पष्ट था कि भारत श्रमोन्मुख मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में

मात खा रहा है। हमारे उद्योग जगत के कर्णधार अपने ढर्रे को बदलना नहीं चाहते। वे सिर्फ वही करते रहना चाहते हैं जो करते रहे हैं यानी उच्च पूंजीवाले उद्योग जैसे ऑटोमोबाइल, आटो पार्ट्स, मोटर साइकिल, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल आदि का व्यवसाय। लेकिन देश में विशाल अकुशल श्रमशक्ति का उपयोग करनेवाले उद्योगों को चलाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

यही कारण है कि भारत चीन के साथ पर्व विशेष के साथ ही रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ा छोटा–मोटा सामान बनाने के मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है। भारतीय उद्योगपति श्रमोन्मुख उद्योगों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो इसके बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के शासन की नीतियों में छुपे हैं। इसी कारण भारत इस मोर्चे पर चीन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है। आजाद भारत का इतिहास बड़े और पूंजी आधारित उद्योगों के वर्चस्व और श्रम आधारित उद्योगों की घोर उपेक्षा का इतिहास है।

बात तब की है जब देश आजाद हुआ था और सोवियत संघ के समाजवादी विकास मॉडल से प्रभावित पंडित नेहरू पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये देश का नियोजित विकास चाहते थे। उन्होंने अर्थशास्त्री महालनोबीस से दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार कराया। महालनोबीस ने अपने और नेहरू के निवेश के बारे में समाजवादी नजरिये (यानी प्राइवेट सेक्टर की कीमत पर विशाल सरकारी सेक्टर का निर्माण) जिसमें उपभोक्ता वस्तुओ के उद्योगों की कीमत पर भारी उद्योगों पर बल दिया गया था, के अलावा निर्यात को प्रोत्साहन देने के बजाय इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को महत्वपूर्ण माना। इस कारण छोटे और उपभोक्ता सामानों के उद्योगों की कीमत पर भारी उद्योग लगाने का प्रचलन हो गया। तब जाने–माने अर्थशास्त्री सीएन वकील और ब्रह्मानंद ने उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाला वैकल्पिक मॉडल पेश किया था लेकिन वह न तो ग्लैमरस था और न महालनोबीस मॉडल की तरह तकनीकी प्रधान लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए ज्यादा अनुकूल था। इसके पीछे सोच थी कि हमारे देश में पूंजी की कमी है मगर विशाल जनबल के कारण उनसे कम पूंजी लगाकर उत्पादक काम कराया जा सकता है। लेकिन नेहरू और अन्य नेताओं को औद्योगिक विकास का यह रास्ता आकर्षक नहीं लगा।

चीन में मध्यम दर्जे की कंपनियों की संख्या अच्छी–खासी है लेकिन भारत में इस तरह की इकाइयां नहीं हैं। इस तरह चीन ने बड़े पैमाने पर श्रम प्रधान इकाइयां स्थापित की हैं जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। कुछ ऐसा ही हमें अपने देश में भी करना होगा, तभी हम चीन को मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे।

उन्हें महालनोबीस का औद्योगिक भारत का सपना ज्यादा रास आया। भारत सरकार का झुकाव बड़े उद्योगों की स्थापना की तरफ था। लेकिन सरकार खुद जो उद्योग नहीं लगाना चाहती थी, उसका लाइसेंस वह प्राइवेट सेक्टर को दे देती थी बशर्ते वे उद्योगपति सरकार के नेताओं के नजदीक हों। इस कारण सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में बड़ी पूंजीवाले उद्योगों का लगना जारी रहा। दूसरी तरफ श्रमप्रधान उद्योगों की उपेक्षा हुई। प्राइवेट सेक्टर में दस या उससे कम मजदूरों वाले उद्योगों की संख्या में धीमी रफ्तार से इजाफा हुआ।

भारत के मौजूदा विकास की सबसे बड़ी खामी ही यही है कि विकास की उच्चदर हासिल करने के बावजूद श्रमोन्मुख औद्योगिक क्रांति यहां नहीं आई। यदि ऐसा होता तो इसका लाभ उन लोगों को मिलता जो ग्रामीण क्षेत्र में अब भी गरीबी के दलदल में फंसे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में हमारी ताकत उच्च तकनीक और उच्च कौशल वाला उत्पादन है। सरकार अक्सर समवेत विकास की बात करती है लेकिन जब तक उसमें बड़े पैमाने पर श्रमोन्मुख औद्योगिक क्रांति नहीं जुड़ती, विकास को समवेत विकास नहीं कहा जा सकता।

दरअसल चीन ने श्रम प्रधान उद्योगों को बड़े पैमाने पर स्थापित किया। इन्होंने अनुसंधान के जरिए अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ायी, नए–नए खूबसूरत डिजायन बनाए और आक्रामक मार्केटिंग रणनीति अपनाकर अपने उत्पाद दुनिया भर में बेचे। चीन से मुकाबले के लिए हमारी सरकार को ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें हमारे उद्योगपतियों और विदेशी निवेशकर्त्ताओं को श्रमोन्मुख उत्पाद के लिए बड़े स्तर की फर्में स्थापित करना आकर्षक लगे।

उल्लेखनीय है कि चीन में मध्यम दर्जे की कंपनियों की संख्या अच्छी–खासी है लेकिन भारत में इस तरह की इकाइयां नहीं हैं। इस तरह चीन ने बड़े पैमाने पर श्रम प्रधान इकाइयां स्थापित की हैं जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। कुछ ऐसा ही हमें अपने देश में भी करना होगा, तभी हम चीन को मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे। ❑

चीन की बढ़ती दबंगई

हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबी ने चीन की तुलना साम्राज्यवादी जर्मनी से की। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से एक–दूसरे पर निर्भर रहने के बावजूद 1914 में जर्मनी और ब्रिटेन आपस में युद्ध कर बैठे थे। कमोबेश यही हालत चीन और जापान की अब है। फिलीपींस के राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो ने इस माह चीन की भू–भागीय आकांक्षा की तुलना नाजी जर्मनी के विस्तारवाद से की थी। अब नरेंद्र मोदी ने चीन को अपनी विस्तारवादी नीति से बाज आने को चेताया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। कोई शक्ति इसे हमसे छीन नहीं सकती।

■ ब्रह्म चेलानी

अपने पड़ोसियों के प्रति चीन की दबंगई से एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबी ने चीन की तुलना साम्राज्यवादी जर्मनी से की। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से एक–दूसरे पर निर्भर रहने के बावजूद 1914 में जर्मनी और ब्रिटेन आपस में युद्ध कर बैठे थे। कमोबेश यही हालत चीन और जापान की अब है। फिलीपींस के राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो ने इस माह चीन की भू–भागीय आकांक्षा की तुलना नाजी जर्मनी के विस्तारवाद से की थी। अब नरेंद्र मोदी ने चीन को अपनी विस्तारवादी नीति से बाज आने को चेताया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। कोई शक्ति इसे हमसे छीन नहीं सकती।

भारत, जापान, फिलीपींस और वियतनाम समेत अपने अनेक पड़ोसियों के साथ जमीनी विवाद में यथा–स्थिति को बदलने के चीन चालबाजियों पर उतारू है। चीन के तीव्र आर्थिक व सैन्य विकास ने इसे पुराने हिसाब चुकता करने और नए विवाद पैदा करने के लिए प्रेरित किया है। लगातार घुसपैठ और बांहें मरोड़ने की कूटनीति के माध्यम से यह विवादित भू–भागों पर अपना दावा ठोंक रहा है। उदाहरण के लिए, फरवरी माह के शुरू में अमेरिका के प्रशांत बेड़े के खुफिया निदेशक कैप्टन जेम्स फनेल ने खुलासा किया कि जापान नियंत्रित सेनकाकू द्वीपों पर कब्जा करने के उद्देश्य से चीन ने पिछले दिनों युद्धाभ्यास किया था। दबंग चीन उन द्वीपों पर अपना दावा

ठोंक रहा है जो लंबे समय से अन्य देशों के नियंत्रण में हैं। इससे एशिया में भू–राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। अधिकांश देशों का ध्यान दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन की आक्रामकता पर केंद्रित है। इसके अलावा चीन भारत के साथ लगती लंबी हिमालयी सीमा और हिंद महासागर में भी सक्रिय है। चीन की दबंगई इस बात से और बढ़ती जा रही है कि इसका उसे अंतरराष्ट्रीय खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। अन्य शक्तियों ने बीजिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय चीन और इसके निशाने वाले देशों से महज संयम बरतने की अपील भर की है।

चीन के भू–भागीय दावे अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर कहीं नहीं ठहरते, बल्कि वे उसके मनगढ़ंत इतिहास की उपज हैं। उदाहरण के लिए चीन अपने अस्पष्ट और सदियों पुराने नक्शों के आधार पर दक्षिण चीन सागर में स्थित अनेक द्वीपों पर अपना दावा ठोंकता है। इसमें कोई हैरत नहीं कि चीन समुद्री मार्गों पर संयुक्त राष्ट्र संधियों में निर्दिष्ट फार्मूलों और प्रक्रियाओं को लागू करने का कड़ा विरोध करता है। इसी कारण वह अनेक

समुद्री क्षेत्रों और द्वीपों को अपना बताता है, जबकि वे चीन के बजाय अन्य एशियाई देशों के अधिक निकट हैं।

असल में चीन अपने विशाल और शक्तिशाली समुद्री बेड़े का इस्तेमाल उन द्वीपों और समुद्री क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाने के लिए कर रहा है। उसकी रणनीति है कि नियंत्रण के आधार पर वह अपनी वैधानिक स्थिति मजबूत कर सके। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा तो और बेसिरपैर का है। बीजिंग कहता है कि अरुणाचल कभी तिब्बत का भाग था और अब उसे तिब्बत पर कब्जा करने वाले चीन को सौंप देना चाहिए। चीन की मनमानी उसके अनेक पड़ोसी देशों के साथ एक साथ अघोषित युद्ध छेड़ने सरीखी है। अपने भू–भागीय दावों के समर्थन में चीन ने भूटान समेत आठ पड़ोसी देशों पर दबाव बढ़ा रखा है। यथा–स्थिति में बदलाव लाने की कूटनीति पर चलते हुए वह अपनी आक्रामकता को आत्मरक्षा के रूप में प्रचारित कर रहा है।

चीन का अगला निशाना एक कम्युनिस्ट देश उत्तर कोरिया लगता है, जो अब तक उसका सहयोगी है। उत्तर कोरिया के साथ टकराव के बाद चीन आधुनिक इतिहास की ऐसी इकलौती उभरती शक्ति बन गया है जिसका कोई मित्र नहीं है। पाकिस्तान चीन का आखिरी मित्र कहा सकता है पर पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती के पीछे भारत की शत्रुता ही है। आज चीन के पाले से उत्तर कोरिया के छिटकने का खतरा है। इससे पहले म्यांमार नाटकीय रूप से चीन के शिकंजे से निकल गया था। चीन के आक्रामक राष्ट्रवादी राष्ट्रपति शी जिंपिंग और उत्तर कोरिया के दबंग युवा तानाशाह किंम जोंग उनके बीच बढ़ते टकराव से द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।

30 साल के किम ने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश किया है, जो चीन की अंधेरगर्दी को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उत्तर कोरिया के संस्थापक किम सुंग द्वितीय ने चीन के 37 आधिकारिक दौरे किए थे। उनके उत्तराधिकारी और पुत्र किंम जोंग द्वितीय ने नौ बार दौरे किए, किंतु दिसंबर 2011 में सत्ता संभालने के बाद से किंम जोंग उन एक बार भी चीन नहीं गए। किंम जोंग उन द्वारा अपनी बुआ तथा फूफा जनरल जेंग सोंग को मौत के घाट उतारने के बाद चीन से उनके रिश्ते तल्ख हो गए और वह चीन के निशाने पर आ गए। चीन के प्रिय पात्र जेंग को देशद्रोह के अलावा कोयला, भूमि तथा कीमती धातुओं को सस्ते दामों पर चीन को बेचने के आरोप में 12 दिसंबर को मृत्यु दंड दिया गया। इससे चीन में शी जिंपिंग तथा अन्य महत्वपूर्ण नेता खफा हो गए। चीनी नेताओं को लगा कि किम उन उत्तर कोरिया की चीन पर निर्भरता को घटा रहा है।

चीन अपने विरोधियों को किसी भी कीमत पर कुचलने में यकीन रखता है। चाहे इसके लिए गलत तरीके अपनाने पड़े या हिंसा का सहारा लेना पड़े। इस प्रकार चीन की कूटनीति उसकी घरेलू राजनीति का ही प्रतिबिंब है। इसमें धोखा, चालाकी, चालबाजी और आक्रामकता को आत्मरक्षा दिखाने की प्रवृत्ति शामिल हैं। इस पृष्ठभूमि में क्या यह कोई हैरानी की बात है कि आज चीन खुद को बिना किसी दोस्त के पा रहा है।

उत्तर कोरिया में लौह अयस्क, मैग्नेसाइट, कॉपर और अन्य धातुओं का विशाल भंडार है। इसी प्रकार म्यांमार में तेल व गैस से लेकर लकड़ी के प्रचुर संसाधन उपलब्ध हैं। इन्हीं कारणों से पश्चिमी निवेशकों की नजर इन देशों पर है। संसाधनों का भूखा चीन उत्तर कोरिया और म्यांमार के प्राकृतिक संसाधनों का प्रमुख आयातक है। बेहतर विकल्पों के अभाव में उत्तर कोरिया को लेकर चीन गंभीर दुविधा का शिकार हो गया है।

फिर भी प्योंग यांग को काबू में करने के लिए ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति रोकने के चीन के प्रयास न केवल चीन में शरणार्थियों की बाढ़ ले आएंगे, बल्कि किम परिवार के शासन का भी खात्मा कर देंगे। इसके परिणामस्वरूप उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का विलय रोकना चीन के काबू से बाहर हो जाएगा और अमेरिकी सैनिकों की पहुंच चीन की सीमा तक हो जाएगी। स्पष्ट है कि चीन ऐसा नहीं चाहता। चीन के उत्तर कोरिया के साथ भू–भाग और संसाधनों को लेकर विवाद जरूर हैं, किंतु एकीकृत कोरिया से उसे कोई लाभ नहीं होगा। चीन की विदेश नीति वहां की गलाकाट राजनीतिक संस्कृति का आईना है।

चीन अपने विरोधियों को किसी भी कीमत पर कुचलने में यकीन रखता है। चाहे इसके लिए गलत तरीके अपनाने पड़े या हिंसा का सहारा लेना पड़े। इस प्रकार चीन की कूटनीति उसकी घरेलू राजनीति का ही प्रतिबिंब है। इसमें धोखा, चालाकी, चालबाजी और आक्रामकता को आत्मरक्षा दिखाने की प्रवृत्ति शामिल हैं। इस पृष्ठभूमि में क्या यह कोई हैरानी की बात है कि आज चीन खुद को बिना किसी दोस्त के पा रहा है। ❑

केन्द्र सरकार का अंतरिम बजट 2014-15

नाकामी सरकार का फिर सत्ता लालची बजट

चुनाव की चिन्ता में सरकार ने आर्थिक सुधारों को लगभग भुला ही दिया है जिससे अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करना और भी कठिन हो जायेगा। कांग्रेस की कागजी उपलब्धियां उसको वर्ष 2014 के चुनावों में विजय दिलाने के लिए नाकामी ही साबित होगी। सरकार के पास सामाजिक योजना में खर्च का कोई विजन है भी नहीं। यह एक बड़ा सवाल है कि निर्भया फंड, मनरेगा और आधार योजना के खर्च को बरकरार रखा है जबकि निर्भया फंड में दिया गया पैसा अभी तक व्यय नहीं हो पाया है। अभी तक विभिन्न योजनाओं में व्यय का कोई व्यवस्थित तरीका सामने नहीं आ पाया है, इससे तो जनता के गाढे पसीने की कमाई का दुरुपयोग ही हो रहा है।

■ डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

बीते माह 17 फरवरी 2014 दिन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व केन्द्र सरकार में वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम् के द्वारा लोकसभा में पेश अंतरिम बजट (2014–15) में कांग्रेस ने सरकार बनाने की मंशा इस इतमिनान के साथ कर जाहिर दी है कि वह 2014 में होने वाले चुनावों के पश्चात् सरकार का गठन कर लेगी तथा देश में विभिन्न संस्थाओं के होने वाले सर्वेक्षण कुछ भी क्यों न बोले? वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में 10 कार्य योजनाओं की रुप रेखा पेश की है। गत 10 वर्षों में कांग्रेस कुछ नहीं कर पायी वह आगामी 5 वर्षों में पूरा करके अवश्य दिखा देगी।

अंतरिम बजट में विशेष बात यह रही है कि देश में बढ़ रही महंगाई की जिम्मेदारी को भारतीय रिजर्व बैंक पर डालने की कोशिश की गई। वित्त मंत्री के अनुसार महंगाई पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। उनके अनुसार जब देश में आर्थिक विकास होता है तो देशवासियों को महंगाई की मार झेलनी ही पडती है।

वित्तमंत्री के द्वारा घोषित कार्य योजनाओं में प्रथम स्तर पर राजकोषीय संतुलन को स्थापित करने की बात कही गई है जो 2016–17 तक 3 प्रतिशत के स्तर पर लाई जायेगी। चालू घाटे की भरपाई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से की जायेगी। इसका भी लक्ष्य निर्धारित नहीं हो सका है। वित्तमंत्री ने संप्रग को गत वर्षों में वित्तीय क्षेत्र में प्राप्त असफलता को लगभग स्वीकर भी किया जिसका निदान आगामी सरकार तत्परता से करेगी और इस विषय पर गठित विभिन्न समितियों की सिफारिशें एक निश्चित समय में लागू की जा सकेंगी। ढांचागत विकास को पांचवें स्थान पर रखा गया जिसके लिए वित्त की व्यवस्था नई सरकार करेगी। निर्यात से संबंधित कर व्यवस्था को केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के स्तर पर समाप्त करने अथवा कम करने की कोशिश की जायेगी जिससे मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकेगा। आयात को हतोत्साहित करने के लिए घरेलू स्तर पर निर्माण को बढ़ावा देने

सरकार गत वर्ष से ही नई योजनाओं व शिलान्यासों और उद्घाटन करने की घोषणा अपने नाम पर कर रही है। गत दस वर्षों में जो कार्य हुए है वे अधिकतर पिछली सरकारों के द्वारा चलाये गये थे जो अब पूर्ण हुए है। यूपीए–2 की सरकार गत दो–तीन वर्षों में असफल ही कही जा सकती है। वित्तमंत्री ने अगली सरकार के लिए दस सूत्री कार्यक्रम पेश किया है। अगली सरकार को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना इसलिए भी करना पड सकता है . . .

के लिए शुल्क व्यवस्था ठीक की जायेगी। सब्सिडी को सातवें स्थान पर रख कर कहा गया है कि इस व्यवस्था को केवल जरुरतमंदों के लिए ही रखा जायेगा।

शहरीकरण के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि अभी शहरों पर ध्यान नहीं दिया गया तो शहर न तो रहने के लायक रहेगें और न ही प्रशासन के लिए। कौशल विकास की सुविधा शुरुआती शिक्षा से ही होगी। केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के अधिकार नये सिरे से तय किये जाने चाहिए।

वर्ष 2012–13 में कुल राजस्व प्राप्तियां 8,77,613 करोड रुपये, 2013–14 में अनुमानित 10,29,252 करोड रुपये तथा 2014–15 में 11,67,131 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। पूंजीगत प्राप्तियां 2012–13 में 5,32,754 करोड़ रुपये, 2013–14 में अनुमानित 5,61,182 करोड़ रुपये व 2014–15 में 5,96,083 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। इस प्रकार 2012–13 में कुल प्राप्तियां 14,10,367 करोड़ रुपये, 2013–14 में 15,90,434 करोड़ रुपये व 2014–15 में 17,63,214 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। सरकार के व्ययों का अंदाजा भी इसी के अनुरुप किया गया है।

ऋणों पर ब्याज का भुगतान जहां 2012–13 में कुल प्राप्तियों का 22.20 प्रतिशत थी वहीं 2014–15 में 24.21 प्रतिशत होने की उम्मीद है। राजस्व घाटा 2012–13 में 3,65,896 करोड़ रुपये, 2013–14 में 3,70,288 करोड़ रुपये व 2014–15 में 3,82,923 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। राजकोषीय घाटा भी 2012–13 में 4,90,597 करोड़ रुपये, 2013–14 में 5,24,539 करोड़ रुपये व 2014–15 में 5,28,631 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है।

सरकार जहां विकासीय योजनाओं के लिए निश्चित रकम में कटौती करने में सफल रही वहीं आशा से अधिक गैर कर राजस्व प्राप्त होने से वित्त मंत्री सफल रहे है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.1 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने बचत के चलते अपने राजकोषीय घाटे को 2013–14 में 4.6 प्रतिशत के स्तर पर रोकने में सफल रही है जिसमें गैर कर राजस्व का योगदान बहुत है। 2013–14 में गैर कर राजस्व में कुल 1,93,226 करोड रुपये मिले, जिसमें 2जी स्पैक्ट्रम की नीलामी के 66,285 करोड रुपये व सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से मिले 88,188 करोड रुपये तथा शेष सार्वजनिक उपक्रमों के विशेष लाभांश से मिली राशि शामिल थी।

वित्तमंत्री ने आयकर में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। एक करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों को सुपर रिच (लगभग 42,000 करदाता) कहा गया तथा दस करोड़ रुपये से ज्यादा आय वाली कम्पनियों पर 10 प्रतिशत का सरचार्ज लगा ही रहेगा। सरकार ने चार अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी देकर बिजली की थोडी बहुत कमी को दूर करने का प्रयास किया। चालू वर्ष में विनिवेश का लक्ष्य भी 40,000 करोड रुपये से कम करके 16,027 करोड़ रुपये किया गया है। निर्यात का लक्ष्य भी 6.3 प्रतिशत से बढाकर 326 अरब डॉलर का किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 2.57 लाख करोड रुपये पूंजीगत रूप में व्यय किये जायेंगे। चालू वर्ष में ऋण प्रबंधन कार्यालय भी गठित किया जायेगा।

अंतरिम बजट से आम जनता सरकार से कुछ उम्मीद नहीं रखती है। परन्तु थोडी बहुत राहत की गुजांइश अवश्य रहती है। सरकार भी चुनावों को ध्यान में रख कर बजट बनाती है। जनता को दो पहिये वाहन, फ्रिज, टीवी, मोबाइल को कम कीमत पर क्रय करके खुश नहीं होगी। कांग्रेस के लिए चुनावों में आम जनता का समर्थन हासिल करने के लिए पूर्व सैनिकों को एक रैंक एक पैंशन योजना (500 करोड रुपये) से सैनिकों की दस साल से अधिक की मांग अब आगामी चुनावों को देखते हुए ही पूरी की गई है।

हालांकि अंतरिम बजट से आम जनता सरकार से कुछ उम्मीद नहीं रखती है। परन्तु थोडी बहुत राहत की गुजांइश अवश्य रहती है। सरकार भी चुनावों को ध्यान में रख कर बजट बनाती है। जनता को दो पहिये वाहन, फ्रिज, टीवी, मोबाइल को कम कीमत पर क्रय करके खुश नहीं होगी। कांग्रेस के लिए चुनावों में आम जनता का समर्थन हासिल करने के लिए पूर्व सैनिकों को एक रैंक एक पैंशन योजना (500 करोड रुपये) से सैनिकों की दस साल से अधिक की मांग अब आगामी चुनावों को देखते हुए ही पूरी की गई है। इस योजना को स्वीकार कर कांग्रेस वाही वाही लूटने की जुगत कर रही है। छात्रों व किसानों को ऋण में राहत देने की बात भी की गई है। कांग्रेस आम आदमी के नजदीक जाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल को देख कर कर रही है। इस

कामचलाऊ अंतरिम बजट से कांग्रेस को कुछ लाभ मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है क्योंकि कांग्रेस व उसके नेतृत्व वाली केन्द्रीय सत्ता के बारे में आम आदमी की धारणा अच्छी नहीं है क्योकि कांग्रेस ने वे सब काम प्राथमिकता के आधार पर नहीं किये जो कांग्रेस को करने चाहिए थे, न ही केन्द्र सरकार ने घोटाले व घोटालेबाजों को रोकने व थामने के लिए कुछ भी नहीं किया न ही कोई ठोस उपाय किये है, न ही उन्हें दंडित किया गया है, न ही काला धन विदेशों से वापस लाने के लिए कोई उपाय किये गये है।

सरकार गत वर्ष से ही नई योजनाओं व शिलान्यासों और उद्घाटन करने की घोषणा अपने नाम पर कर रही है। गत दस वर्षों में जो कार्य हुए है वे अधिकतर पिछली सरकारों के द्वारा चलाये गये थे जो अब पूर्ण हुए है। कांग्रेस की सरकार गत दो –तीन वर्ष में असफल ही कही जा सकती है। वित्तमंत्री ने अगली सरकार के लिए दस सूत्री कार्यक्रम पेश किया है। अगली सरकार को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना इसलिए भी करना पड सकता है जिन योजनाओं की घोषणा चुनाव जीतने की चाहत में कांग्रेस ने हाल में कर दी है और उनका देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव भविष्य में अवश्य ही पड़ेगा। चुनाव की चिन्ता में सरकार ने आर्थिक सुधारों को लगभग भुला ही दिया है जिससे अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करना और भी कठिन हो जायेगा। कांग्रेस की कागजी उपलब्धियां उसको वर्ष 2014 के चुनावों में विजय दिलाने के लिए नाकाफी ही साबित होगी। सरकार के पास सामाजिक योजना में खर्च का कोई विजन है भी नहीं। यह एक बड़ा सवाल है कि निर्भया फंड, मनरेगा और आधार योजना के खर्च को बरकरार रखा है जबकि निर्भया फंड में दिया गया पैसा अभी तक व्यय नहीं हो पाया है। अभी तक विभिन्न योजनाओं में व्यय का कोई व्यवस्थित तरीका सामने नहीं आ पाया है, इससे तो जनता के गाढे पसीने की कमाई का दुरुपयोग ही हो रहा है। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740 IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

करों की मार से सभी बेहाल

एक आम आदमी साल भर में जितना आयकर भरता है उससे कई गुना ज्यादा कर वह अपनी जिंदगी गुजर बसर करने में सरकार को दे देता है। पर इतनी तरह के करों की वसूली के बाद भी सरकार अपने देश की जनता को पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा सकी है। इससे सरकार के मंत्रियों और नौकरशाहों की नीति और नीयत पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं।

■ निरंकार सिंह

लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश के अन्तरिक बजट में कुछ चीजों के उत्पाद कर में मामूली छूट देकर यूपीए सरकार ने जनता को लुभाने की कोशिश की है लेकिन इसका कोई फायदा उसे मिलने वाला नही है। देश की आजादी के बाद से ही जनता पर करों का लगाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह लगातार बढ़ता ही गया है। यूपीए सरकार ने अपने पिछले नौ साल के शासन में करों की दरों और दायरे का इतना अधिक विस्तार किया है कि आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। यह बात शायद देश के सभी लोगों को ठीक से मालूम नहीं है कि देश और प्रदेश की सरकार जनता के दिये गये करों (टैक्स) से ही चलती है। यह कर केन्द्र और राज्य सरकारें कई रूप में आप से वसूलती हैं।

आज देश में 32 तरह के प्रत्यक्ष कर और करीब 50 तरह के अप्रत्यक्ष कर लागू हैं। करों का यह ऐसा मकड़जाल है जिसमें जनता की जेब से निकलने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा इन करों के जरिए सरकारी खजाने की भेंट चढ़ जाता है। आप की छोटी से भी छोटी खरीद और सेवा अब करों के दायरे में है। सरकार, और उसकी नौकरशाही का पूरा खर्च जनता की जेब से ही निकाला जाता है।

इन करों की वसूली के लिए जो अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं उनके वेतन भत्तों और प्रबन्ध सम्बन्धी व्ययों पर वसूले गये करों का लगभग एक तिहाई हिस्सा खर्च हो जाता है। इस प्रकार उनकी सभी सुख–सुविधाओं के लिए जनता को टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा हर तरह के विकास के कार्यो का खर्च भी सरकार जनता की जेब से करों के रूप में ही वसूलती है।

ऐसा लगता है कि हमारे राजनेता विंस्टन चर्चिल की उस भविष्यवाणी को सिद्ध करना चाहते है जिसमें उसने कहा था कि ''भारतीय राज्य करना नही जानते है, इनकी आजादी का मतलब इनकी बर्बादी। हवा को छोड़कर डबलरोटी का एक टुकड़ा तक नही बचेगा जिस पर यह कर नही लगा देगें।'' सचमुच आज देश की जनता से 82 प्रकार के कर (टैक्स) वसूले जाते हैं। इनमें कृषि आय पर छोड़कर सभी प्रकार की आय पर कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कारपोरेशन टैक्स, सम्पदा कर, कम्पनियों की पूंजी पर कर, सम्पत्ति की वसीयत आदि सभी प्रकार की अनिवार्य रजिस्ट्री पर कर, जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क और रेलमार्ग से लगने वाला किराया, स्टाम्ट ड्यूटी सभी प्रकार के व्यापार और क्रय–विक्रय पर कर है।

जनता से वसूले जाने वाले कर को सरकार ने दो श्रेणियों में बांटा है। पहला प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) और दूसरा अप्रत्यक्ष कर (इन डायरेक्ट टैक्स)। प्रत्यक्ष कर वह है जिसे हर उद्यमी, कारोबारी, कम्पनी और हर व्यक्ति को अपनी आमदनी या सम्पत्ति पर देना पड़ता है। इसे प्रत्यक्ष कर इसलिए कहते हैं क्योंकि

ऐसा लगता है कि हमारे राजनेता विंस्टन चर्चिल की उस भविष्यवाणी को सिद्ध करना चाहते है जिसमें उसने कहा था कि ''भारतीय राज्य करना नही जानते है, इनकी आजादी का मतलब इनकी बर्बादी। हवा को छोड़कर डबलरोटी का एक टुकड़ा तक नही बचेगा जिस पर यह कर नही लगा देगें।''

इसमें जो व्यक्ति कर का भुगतान करता है, उसे ही कर का भार वहन भी करना पड़ता है। प्रत्यक्ष कर में कारपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सम्पत्ति कर, कैपिटेल गेन, डिवीडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मिनिमन अल्टरनेट टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स शामिल है। कारपोरेट टैक्स वह कर होता है जिसे उद्योग जगत को अपने मुनाफे पर चुकाना पड़ता है। सरकार के कर संग्रह का यह अकेला सबसे बड़ा स्रोत है। कारपोरेट टैक्स के अलावा अन्य आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं। जिसे गैर कारपोरेट करदाता जैसे कि व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को अपनी आमदनी पर देना होता है।

सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) शेयर बाजार में इक्विटी की खरीद–बिक्री या म्युचुअल फंड में लेन–देन करने पर भुगतान या प्राप्त हुई कुल रकम पर लगने वाला टैक्स एसटीटी होता है। सम्पत्ति कर वह होता है जिसे प्रत्येक व्यक्तिगत करदाता को अपनी कुल सम्पत्ति पर भुगतान करना होता है। एचयूएफ या कंपनियों को 30 लाख रूपये से अधक की शुद्ध सम्पत्ति पर 1 फीसदी की दर से सम्पत्ति कर का भुगतान करना होता है।

कैपिटल गेन टैक्स – शेयर, मकान, व्यवसायिक सम्पत्ति जैसे कैपिटल एसेट की बिक्री पर मिलने वाली रकम या मुनाफे पर लगता है। लांग टर्म कैपिटल गेन 10 फीसदी की दर से होता है, जबकि शार्ट टर्म कैपिटल गेन पर करदाता के आयकर स्लैब के अनुसार लगता है। डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) निवेशकों को मिलने वाला डिविडेंड करमुक्त होता है। पर कंपनियों के निवेशकों के दिये डिविडेंट पर सरकार को कर भुगतान करना होता है, इसे ही डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहते हैं। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (मैट) यह कम्पनी के मुनाफे पर लगने वाला टैक्स है। यदि किसी कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया लेकिन कर का भुगतान नहीं किया हो तो प्रायः ऐसी स्थिति में कंपनियों को एक निश्चित न्यूनतम टैक्स का भुगतान अपने दर्ज मुनाफे पर करना होता है।

आज देश में 32 तरह के प्रत्यक्ष कर और करीब 50 तरह के अप्रत्यक्ष कर लागू हैं। करों का यह ऐसा मकड़जाल है जिसमें जनता की जेब से निकलने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा इन करों के जरिए सरकारी खजाने की भेंट चढ़ जाता है। आप की छोटी से भी छोटी खरीद और सेवा अब करों के दायरे में है। सरकार, और उसकी नौकरशाही का पूरा खर्च जनता की जेब से ही निकाला जाता है।

'विदहोल्डिंग टैक्स' यह वह कर है जिसकी कटौती डिवीडेंट, ब्याज या फिर कैपिटल गेन आदि से किसी व्यक्ति को होने वाली आमदनी के भुगतान पर की जाती है।

अप्रत्यक्ष कर – यह किसी भी वस्तु या सेवा की खरीद पर देना पड़ता है। इसमें उत्पाद, सीमा और सेवा शुल्क शामिल होते हैं। इसे अप्रत्यक्ष कर इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस कर का भुगतान उन कंपनियों को करना होता है जो अपने उत्पाद या सेवायें बेचती हैं। लेकिन कम्पनियां, यह कर उपभोक्ताओं से लेती है। यह एक तरह का प्रतिभागी (रिग्रेसिव) कर है, जिसे हर व्यक्ति को चाहे वह अमीर हो या गरीब समान रूप से देना होता है। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का प्रस्ताव रखा है, जो कई तरह के अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा। विदेशों में किसी भी वस्तु की खरीद और देश में उसकी बिक्री पर सीमा शुल्क लगता है। इसके दो लाभ होते हैं। पहला इससे सरकार की कमाई होती है और दूसरा इससे भारतीय इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिलता है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क – यह केन्द्र सरकार की ओर से देश में बनने वाले हर उत्पाद पर लगाये जाने वाला कर होता है।

सेवा कर – यह सर्विसेज यानि सेवाओं के बदले लगने वाला कर है। आज हम 142 प्रकार की सेवाओं पर कर अदा करते हैं। मोबाइल पर बातचीत करने के लिये भी जनता को सेवा कर देना पड़ता है।

सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन पर एक सीमा तक छूट के बावजूद कर देना पड़ता है। इसके अलावा स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं और निगम आदि भी अनेक प्रकार के टैक्स वसूलते हैं। पूंजी बनाने पर कर, सम्पत्ति या संपदा के संचय और स्वामित्व पर कर, व्यापार पर कर, लाभ पर कर, पानी पर कर, जीवन के समस्त क्रियाकलापों पर कर की व्यवस्था है।

गरीब से गरीब आदमी के द्वारा सरकार को टैक्स दिया जाता है क्योंकि भोजन, निवास, वस्त्र, मनोरंजन आदि सभी क्रिया कलाप से जुड़ी वस्तुओं पर कर है। इन वसूले गये करों के द्वारा जो कार्य किये जाते हैं, उन्हें ही समाज के कल्याण के कार्य बताया जाता है। राज्य सरकारें, भूमि राजस्व (खेती की जमीन पर

लगान) कृषि आय पर कर, कृषि आय के हस्तान्तरण आदि पर कर, कृषि आय पर सम्पदा कर, भवन और भूमि पर कर, खनन सम्बन्धी सम्पत्ति क्रिया कलाप पर कर, शराब, अफीम और अन्य नशीले पदार्थो की खरीद और बिक्री पर कर, बिजली की खपत और बिक्री पर कर, विज्ञापनों पर कर, सड़क, रेल या जलमार्ग से किये जाने वाले परिवहन पर कर, वाहनों पर कर, पशुओं पर कर, नौकाओं पर कर, चुंगी पर, सभी प्रकार के कार्यो, व्यवसायों, व्यापारों, उद्यमों और रोजगार पर कर, कैपिटेशन टैक्स, सुख–सुविधा की वस्तुओं पर कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प ड्यूटी आदि सैकड़ों प्रकार के कर वसूले जाते हैं।

इस प्रकार कुल मिलाकर इन करों का अप्रत्यक्ष बोझ आप पर पड़ता है और जिसका भुगतान आपकी जेब से होता है। राज्यों से ली जाने वाली चुंगी, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स का आपसे कोई सीधे लेना देना नहीं है। लेकिन सामान की आवाजाही पर लगने वाले ये टैक्स उसकी कीमत में शामिल हो जाते हैं। जिनका बोझ जनता को उठाना पड़ता है।

देश में सरकार ने टैक्स का ढांचा इस तरह बनाया है कि आपको कहीं से आमदनी होती है तो उस पर टैक्स है। आप कहीं खर्च करते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं। घर में भोजन करते हैं तो उसमें टैक्स की भागीदारी होती है और बाहर खाने जाते हैं तो भोजन के दाम के अलावा वैट, सेवा शुल्क और सर्विस चार्ज जैसे टैक्स अदा करने पड़ते हैं। आप वाहन खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, उसे चलाने के लिए रोड टैक्स देते हैं। उसे चलाने के लिए जरूरी ईधन पर कई तरह के टैक्स में हिस्सेदारी करते हैं। यानि जनता को किसी भी रूप में टैक्स अदायगी से बचाव नहीं है।

सरकार के टैक्स ढांचे का यह ऐसा पेंच है जिसमें किसी तरह का बचाव नहीं है। चूंकि केन्द्र और राज्य सरकार का खजाना भरने का स्रोत यही टैक्स ढांचा है इसलिए बिना राजनीतिक इच्छाशक्ति के इसमें बदलाव भी संभव नहीं है। जनता केवल इनकम टैक्स को लेकर ही चिन्तित रहती है इसलिए सरकारें भी आम आदमी को आयकर में रियायतों का झांसा दे उलझाए रखती हैं। जबकि एक आम आदमी साल भर में जितना आयकर भरता है उससे कई गुना ज्यादा कर वह अपनी जिंदगी गुजर बसर करने में सरकार को दे देता है। पर इतनी तरह के करों की वसूली के बाद भी सरकार अपने देश की जनता को पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा सकी है। इससे सरकार के मंत्रियों और नौकरशाहों की नीति और नीयत पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

महंगाई से राहत बस नाम भर की...

महंगाई बढ़ती है, तो रिजर्व बैंक ब्याज दरों को बढ़ाता है, जिससे फिर ईएमआई बढ़कर लोगों की अर्थव्यवस्था को चौपट करती है। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का गिरना कब तक जारी रहेगा, यह कहा नहीं जा सकता। महंगाई को स्थायी तौर पर तभी कम किया जा सकता है, जब इसको कम करने के चौकस इंतजाम हों। उन इंतजामों को करने में यह सरकार पिछले दस सालों में सक्रिय नहीं दिखी। इसलिए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गिरावट के बावजूद यूपीए की सरकार आश्वस्त नहीं दिखती है।

■ आलोक पुराणिक

हाल के आंकड़ों को देखें तो महंगाई गिरती हुई दिख रही है। थोक मूल्य सूचकांक जनवरी, 2014 में गिरकर 5.05 प्रतिशत पर आ गया। दिसम्बर, 2013 में महंगाई का थोक मूल्य सूचकांक 6.16 प्रतिशत था। मोटे तौर पर थोक महंगाई गिरती हुई दिख रही है। राहुल गांधी कह सकते हैं कि ये आंकड़े कुछ महीनों पहले आते तो बेहतर होता। कम से कम कागजों पर तो कहा ही जा सकता था कि महंगाई कम हो रही है। महंगाई कम होती दिख तो रही है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी गिरता हुआ दिखता है। जनवरी, 2014 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 8.79 प्रतिशत रहा, यह पिछले दो सालों में सबसे कम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। दिसम्बर, 2013 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 9.87 प्रतिशत पर रहा था। लेकिन ये आंकड़े अब सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन को राहत नहीं दे रहे हैं। राहत दे भी नहीं सकते। महंगाई का पानी बहुत पहले ही आम आदमी के सिर से पार उतर गया है और इसका परिणाम हाल के विधानसभा चुनावों में देखने को भी मिला है। कांग्रेस को मतदाता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है अपने वोट के जरिये, यह बताते हुए कि महंगाई कम करने के खोखले सरकारी दावे किसी भी तरह से आम आदमी को राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं। महंगाई अगर उपभोक्ता मूल्यों के मामले में भी कम होती दिख रही है तो आम आदमी को इससे राहत मिलती दिखनी चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। महंगाई कम होने के दावे सरकारी होते हैं, पर महंगाई के असली आंकड़े आम आदमी को बाजार में झेलने होते हैं, जो सूचकांकों के हिसाब से नहीं चलते। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के हिसाब से ही देखें तो भी महंगाई में जनवरी, 2014 में जनवरी, 2013 के मुकाबले करीब नौ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। यह बढ़ोत्तरी भी कम नहीं है। मोटे तौर पर इसका मतलब यह हुआ कि रिटेल में जो साज–सामान एक जनवरी, 2013 में 1000 रुपये के आते थे, वे जनवरी, 2014 में 1090 रुपये के आ रहे हैं। **हरेक व्यक्ति की आय एक साल में नौ प्रतिशत नहीं बढ़ी है। महंगाई भत्ता भी सबको नहीं मिलता। महंगाई भत्ता जिनको नहीं मिलता उनकी महंगाई से लड़ने की सामर्थ्य कम हो जाती है। महंगाई भत्ता उन्हें ही मिल पाता है जिन्हें संगठित क्षेत्र में नौकरी मिली हुई है। उनकी आय महंगाई बढ़ने के साथ अपने–आप बढ़ जाती है, उनको एरियर भी मिल जाता है। पर तथ्य यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उन लोगों की तादाद**

ज्यादा है जिनको महंगाई से मुकाबले के लिए महंगाई भत्ता नहीं मिलता। ऐसे लोगों के वोट भी निश्चय ही बहुत ज्यादा हैं। उनके वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती भी ज्यादा हैं। इसीलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के गिरते आंकड़ों से यूपीए की हालत सुधरती नहीं दिख रही है। नौ प्रतिशत की उपभोक्ता महंगाई भी बहुत ज्यादा है, ऐसा आम आदमी का नहीं, रिजर्व बैंक की ओर से नियुक्त एक विशेषज्ञ कमेटी का भी मानना है। रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त उर्जित पटेल कमेटी के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आगामी 12 महीनों में गिरकर आठ प्रतिशत हो जाना चाहिए और आगामी 24 महीनों में गिरकर छह प्रतिशत हो जाना चाहिए। इस समिति का मानना है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चार प्रतिशत से ज्यादा महंगाई दर न हो, ऐसा स्थिति के आने पर रिजर्व बैंक ब्याज दरों को कम करने की दिशा में कदम उठा सकता है। इस समिति ने बताया है कि यह बेहद जरूरी है कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो। अभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आदर्श उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 'चार प्रतिशत' के दोगुने से भी ज्यादा है। यानी राहत बहुत दूर है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, केंद्र सरकार से लेकर रिजर्व बैंक तक इस पर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आम आदमी तो इस पर सतत चिंतित है। थोक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कम या ज्यादा होता है तो इसका सीधा असर पड़ता है कर्ज की ब्याज दरों पर। रिजर्व बैंक इन सूचकांकों को लेकर बहुत संवेदनशील रहता है। अगर ये आंकड़े अगर नीचे की ओर नहीं आते तो रिजर्व बैंक ब्याज दरों को कम नहीं कर पाता। रिजर्व बैंक ब्याज दरों को कम नहीं कर पाता तो नतीजा यह होता है कि तमाम कजरे– कार, बाइक–कर्ज की ईएमआई, मकान कर्ज की ईएमआई या तो पुराने स्तर पर रहती है या बढ़ जाती है। बढ़ी हुई ईएमआई कम होने का मतलब है कि आय का बड़ा हिस्सा इस पर खर्च करना पड़ेगा, जबकि आय में उतनी बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है। इस स्थिति का नतीजा यह होता है कि जीवनस्तर गिरावट की ओर जाता है। गिरता जीवनस्तर ठोस और सामने होता है, जबकि महंगाई कम करने के सरकारी दावे वायवीय होते हैं। इसलिए महंगाई को नियंत्रित न कर पाने वाली सरकारें गिर जाती हैं, समस्याओं में पड़ जाती हैं। राहुल गांधी भले ही यह बताते रहें कि हमने फ्लाईओवर बना दिए, मेट्रो–ट्रेन चला दी, हाई–वे बना दिए, पर वोट नहीं मिल पाते। वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक जाने वाला व्यक्ति महंगाई से इस कदर त्रस्त होता है कि मेट्रो उसे राहत नहीं देती। मेट्रो ट्रेन का सबसे ज्यादा और सीधा फायदा दिल्ली शहर के लोगों ने उठाया है, पर इसी शहर ने कांग्रेस की शीला सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। मेट्रो जिस शहर में आधुनिक ट्रांसपोर्ट देती रही, उसी शहर में कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया। इससे यह साफ होता है कि महंगाई आधुनिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा बड़ा मुद्दा है। आधुनिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, पर महंगाई पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा कहकर सरकारें पल्ला नहीं झाड़ सकतीं कि महंगाई ग्लोबल मुद्दा है। महंगाई को ग्लोबल मुद्दा बताकर अगर मसले सुलझ जाते तो हाल के चुनाव परिणामों में कांग्रेस के खिलाफ इतने और इस तरह वोट नहीं जाते। महंगाई ग्लोबल मुद्दा है, पर सिर्फ ग्लोबल मुद्दा नहीं है। उसे हल करने का जिम्मा लोकल सरकारों का है। महंगाई को वर्तमान केंद्र सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। रिजर्व बैंक इस चुनौती को गंभीरता से ले रहा है। पर रिजर्व बैंक इस काम को केंद्र सरकार की मदद के बिना नहीं कर सकता। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के कुशल नेतृत्व के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। रिजर्व बैंक एक तकनीकी विशेषज्ञ संस्थान है, वह आर्थिक समस्याओं के तकनीकी हल तो पेश कर सकता है, पर उनके राजनीतिक आयाम तो एक चुस्त और चौकस सरकार को ही तय करने होते हैं। महंगाई बेहद संवेदनशील मसला है। सरकारें इस पर संवेदनशील नहीं रही हैं। तमाम किस्म की फिजूलखर्ची रु क नहीं पातीं। रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त समिति ने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से ज्यादा राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। तरह–तरह की योजनाओं में रकम डालकर वोट वसूलना तमाम राजनीतिक पार्टियों का सहज कार्य रहा है। इस कार्य का एक परिणाम यह होता है कि बिना उत्पादकता को बढ़ाए हुए अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाती है। महंगाई बढ़ती है, तो रिजर्व बैंक ब्याज दरों को बढ़ाता है, जिससे फिर ईएमआई बढ़कर लोगों की अर्थव्यवस्था को चौपट करती है। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का गिरना कब तक जारी रहेगा, यह कहा नहीं जा सकता। महंगाई को स्थायी तौर पर तभी कम किया जा सकता है, जब इसको कम करने के चौकस इंतजाम हों। उन इंतजामों को करने में यह सरकार पिछले दस सालों में सक्रिय नहीं दिखी। इसलिए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गिरावट के बावजूद यूपीए की सरकार आश्वस्त नहीं दिखती है। ❑

साकार हुआ नदियों को जोड़ने का सपना

दरअसल, इस योजना के औचित्य पर इतने सवाल खड़े कर दिए गए कि इसे आरंभ कर पाना संभव ही नहीं हो पाया। खासकर पर्यावरणविद् नदियों के प्राकृतिक बहाव में किसी भी तरह के कृत्रिम हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। इसके साथ ही इस योजना के अमल में बड़ी मात्रा में धन जुटाने और भूमि अधिग्रहण जैसी चुनौतियां भी पेश आई। विवादों के हल के लिए यह योजना उच्चतम न्यायालय में पहुंचा दी गई।

■ प्रमोद भार्गव

आखिरकार जीवनदायिनी नर्मदा का जल मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी में प्रवाहित हो गया। नर्मदा–क्षिप्रा जोड़ परियोजना का सफल क्रियान्वयन राष्ट्रीय नदी जोड़ो परिकल्पना की एक छोटी, किंतु बेहद अहम कड़ी है और भविष्य की बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिहाज से एक मिसाल भी है। इस बहुप्रतीक्षित व महत्वाकांक्षी परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार ने मूर्त रूप देने का काम किया है, वह भी पूर्व निर्धारित समयावधि में। इन नदियों के जुड़ने के बाद मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने नदियों को जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। जो राज्य जल की बहुलता होने के बावजूद जल संकट झेल रहे हैं, वे अपने यहां इस अनूठी परिकल्पना से प्रेरित होकर राज्य की नदियों को जोड़ने के काम को आगे बढ़ा सकते हैं।

देश की प्रमुख नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजनाएं फिलहाल केंद्र सरकार के ठंडे बस्ते में हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र की कोई आर्थिक मदद लिए बिना, अपने बूते दो पवित्र नदियों को जोड़ने का काम पूरा करके दिखा दिया है। 432 करोड़ की इस परियोजना को 'नर्मदा–क्षिप्रा सिंहस्थ जोड़ उद्वहन परियोजना' नाम दिया गया है। नर्मदा देश की पांचवीं बड़ी नदी होने के साथ मध्य प्रदेश की जीवन–रेखा मानी जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात में बहने वाली नर्मदा तो बारहमासी नदी है ही, अब उसका पानी प्रवाहित हो जाने से क्षिप्रा नदी भी सदानीरा बन जाएगी। इंदौर जिले के क्षिप्रा कुंड से निकलने वाली क्षिप्रा देवास, उज्जैन, रतलाम व मंदसौर जिलों से बहती हुई चंबल नदी में विलीन हो जाती है। क्षिप्रा बारिश के छह माह बाद ही सूख जाती थी, जबकि हरेक 12 वर्ष के अंतराल पर इसी क्षिप्रा के किनारे उज्जैन में दुनिया का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ, यानी कुंभ लगता है। इसमें आने वाले देश–दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु क्षिप्रा में डुबकी लगाकर पुण्य–लाभ कमाने के साथ मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। इसीलिए इसे मोक्षदायिनी नदी कहा

एक सर्वेक्षण के अनुसार नर्मदा में ही रोजाना 529 टन कचरा और 208 करोड़ लीटर गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। जबलपुर से ही 83 टन मल–मूत्र रोजाना नर्मदा में बहाया जाता है। होशंगाबाद के सभी गंदे नालों के मुंह नर्मदा में खुले हैं। नेपानगर के कागज कारखाने का दूषित जल भी इसी में उड़ेला जा रहा है। इस कारण नर्मदा जल की रासायनिक एवं जैविक विलक्षणताएं परिवर्तित हो गई हैं। इसलिए प्रदेश सरकार ने कालांतर में नर्मदा के संरक्षण व शुद्धिकरण का बीड़ा उठाया है। यह एक बेहद अच्छी और स्वागत योग्य पहल है।

जाता है। किंतु क्षिप्रा में पर्याप्त निर्मल जल का अभाव रहता था। इसलिए लफूंदर नदी पर बने गंभीर बांध से पानी लाकर क्षिप्रा में भरा जाता था, जो प्रवाहित न रहने के कारण जल्दी ही गंदा व प्रदूषित हो जाता था।

अब 2016 में लगने वाले कुंभ में श्रद्धालुओं को क्षिप्रा की बहती जलधारा में स्नान करने का पुनीत अवसर मिलेगा। यही नहीं, जल संकट से जूझ रहे मालवा अंचल के देवास और उज्जैन जिलों की पेयजल समस्या का भी समाधान होगा। भूजल स्तर बढ़ेगा। 70 नगरों और तीन हजार गांवों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस जल का सिंचाई के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध है। नदियों को जोड़ने की यह परिकल्पना खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध के पूरे हो जाने से संभव हुई है। बांध में पर्याप्त पानी है। बांध की नहर से पांच मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लिफ्ट करके सिसलिया तालाब में डाला गया। फिर तीन चरणों में बूस्टर पंप से लिफ्ट करके पाइपलाइन के जरिए करीब 50 किमी दूर इंदौर जिले के उज्जैयिनी गांव के जिजालवंती नाले में डाला गया। इस नाले के माध्यम से नर्मदा जल क्षिप्रा में प्रवाहित होकर इसे बारह महीनों सदानीरा बनाए रखेगा।

अब सरकार नर्मदा के शुद्धिकरण की कार्ययोजना बना रही है। क्योंकि इसके बिना न नर्मदा का जल जीवनदायी बना रहेगा और न ही मोक्षदायिनी क्षिप्रा का सही अर्थो में पुनर्जीवन हो पाएगा। हालांकि यह भी सोचने की जरूरत है कि क्षिप्रा जैसी नदी छह माह जलविहीन क्यों बनी रहती है? दरअसल, देश की सभी नदियों के किनारे बढ़ता शहरीकरण व औद्योगिकीकरण नदियों के अस्तित्व को लीलने का काम कर रहा है। शहरों, कस्बों और गांवों से निकलने वाले गंदे पानी व सीवेज को इन्हीं नदियों में छोड़ा जा रहा है। कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित जल भी नदियों को अशुद्ध बना रहा है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार नर्मदा में ही रोजाना 529 टन कचरा और 208 करोड़ लीटर गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। जबलपुर से ही 83 टन मल–मूत्र रोजाना नर्मदा में बहाया जाता है। होशंगाबाद के सभी गंदे नालों के मुंह नर्मदा में खुले हैं। नेपानगर के कागज कारखाने का दूषित जल भी इसी में उड़ेला जा रहा है। इस कारण नर्मदा जल की रासायनिक एवं जैविक विलक्षणताएं परिवर्तित हो गई हैं। इसलिए प्रदेश सरकार ने कालांतर में नर्मदा के संरक्षण व शुद्धिकरण का बीड़ा उठाया है। यह एक बेहद अच्छी और स्वागतयोग्य पहल है। देश की विभिन्न नदियों को जोड़ने का सपना स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद देखा गया था। इसे डॉ. एम विश्वेश्वरैया, डॉ. राममनोहर लोहिया और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जैसी हस्तियों का समर्थन मिलता रहा है।

हालांकि गुलाम भारत में नदियों को जोड़ने की पहली पहल ऑर्थर कॉटन ने बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में की थी। लेकिन इस माध्यम से फिरंगी हुकूमत का मकसद देश में गुलामी के शिकंजे को और मजबूत करने के साथ देश की बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा का दोहन करना था।

आजादी मिलने के बाद 1971–72 में तत्कालीन केंद्रीय जल एवं ऊर्जा मंत्री एवं अभियंता डॉ. कनूरी लक्ष्मण राव ने गंगा–कावेरी को जोड़ने का प्रस्ताव भी बनाया था। राव जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकारों में जल संसाधन मंत्री भी रहे। लेकिन जिन सरकारों में राव मंत्री रहे, उन सरकारों ने इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अंततः पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार में इस योजना को मूर्त रूप देने की योजना बनी। परंतु एक कार्यबल बनाने के सिवाय वाजपेयी भी इस योजना का क्रियान्वयन नहीं करा सके।

दरअसल, इस योजना के औचित्य पर इतने सवाल खड़े कर दिए गए कि इसे आरंभ कर पाना संभव ही नहीं हो पाया। खासकर पर्यावरणविद् नदियों के प्राकृतिक बहाव में किसी भी तरह के कृत्रिम हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। इसके साथ ही इस योजना के अमल में बड़ी मात्रा में धन जुटाने और भूमि अधिग्रहण जैसी चुनौतियां भी पेश आई। विवादों के हल के लिए यह योजना उच्चतम न्यायालय में पहुंचा दी गई। अंततः 28 फरवरी, 2012 को न्यायालय ने सरकार को नदी जोड़ो परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से अमल में लाने की हरी झंडी दे दी। इस बाधा के दूर होने पर नर्मदा और क्षिप्रा को जोड़ने की इच्छाशक्ति शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई और उन्होंने तय समय–सीमा में इस काम को अंजाम तक पहुंचा दिया। अब बारी केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली इन नदियों को जोड़ने पर दोनों प्रदेशों के बीच सहमति भी बन चुकी है। लगता है अब नदियों को जोड़ने का सिलसिला अनवरत बना रहेगा। ❑

राज्यों के गठन का मापदंड बनाइए

देश में आज कई राज्यों में अलग प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है। बुंदेलखंड की मांग कई दशक पुरानी है। इससे उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश भी प्रभावित होता है। महाराष्ट्र में विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग है। दार्जिलिंग में तो बाकायदा आंदोलन चल रहा है। इसलिए आवश्यक है कि हम नए राज्य बनाने के निश्चित मापदंड स्थापित करें। भाषा, जनजातीय स्वरूप, भौगोलिक रचना, आर्थिक संभावनाएं और इतिहास–सभी पर विचार करने के बाद ही किसी नए राज्य की स्थापना होनी चाहिए। अन्यथा हालात बेकाबू होने का खतरा पैदा होता है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की मांग नई नहीं है। सत्तारूढ़ दलों ने इसे अपनी राजनीति के कारण कभी आगे किया, तो कभी पीछे रखा।

■ **जवाहरलाल कौल**

अलग तेलंगाना राज्य बनाने में जितनी राजनीतिक उथल–पुथल हुई, उतनी दशकों पहले अलग आंध्र प्रदेश बनाने में नहीं हुई थी। तब तेलगुभाषीतिमलभाषियों से अलग प्रदेश की मांग कर रहे थे और इस भावनात्मक मुद्दे पर कुछ हिंसक घटनाए भी हुई थीं। पर अब तो भाषा का सवाल है ही नहीं, कथित रूप से अलग संस्कृति का सवाल खड़ा किया गया है। नए राज्य बनाने के लिए किसी वैज्ञानिक और आर्थिक नीति के अभाव में अलग राज्यों की मांग अक्सर विवादों और अंतर्कलह का ही कारण बनती जा रही है। किसी निश्चित सिद्धांत के अभाव में राज्यों के आकार का भी कोई मानक नहीं बन पाया है।

माना गया कि जितना छोटा राज्य होगा, उतना ही वहां का प्रशासन कुशल होगा। लेकिन कुशलता और आर्थिक प्रगति केवल छोटेपन से नहीं आती। कई राजनीतिक दल अब छोटे राज्यों की वकालत करने लगे हैं। अब तो सौ राज्यों तक की बात भी की जाती है। लेकिन इन दलों ने भी इतने राज्यों की व्यवस्था और राज्य बनाने के सही मानकों पर विचार नहीं किया है। ऐसे में कौन कह सकता है कि प्रस्तावित सीमांध्र से कल रायलसीमा अलग होने की मांग नहीं करेगा या हैदराबाद के लोग अपने आप को तेलंगाना से अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी से कहा जाने लगा है कि हैदराबाद जमाने से अलग रियासत रही है और निजामों के दौर से ही उस की अपनी अलग संस्कृति पनप गई है। राज्यों के आकार का कोई सिद्धांत हमने कभी विकसित नहीं किया। बड़े राज्यों को बांटने का पहला सिद्धांत अलग भाषा बन गया। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, इसलिए प्रशासनिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी इसे अलग राज्य बनाने का युक्तिसंगत आधार मान लिया गया। पंजाब, हरियाणा और स्वयं आंध्र प्रदेश इसके उदाहरण हैं। फिर प्रशासनिक सुविधा और जातीय या जनजातीय आग्रह का आधार खोजा गया। छत्तीसगढ, झारखंड और उत्तराखंड ऐसे राज्य थे, जिनके बारे में यह माना गया कि पहाड़ी या वनाच्छादित होने के कारण बड़े राज्यों में इन की पहुंच और पूछ बहुत कम रहती है। छोटे राज्य होंगे तो राजनीतिक और प्रशासनिक सुगमता बढ़ेगी।

अब जबकि उत्तर प्रदेश को ही चार बड़े राज्यों में बांटने की मांग कभी–कभी उठती है तो उसका आधार न तो भाषा है और न ही भौगोलिक असुविधा। उसके विभाजन का एकमात्र कारण कुछ राजनीतिक दलों और वर्ग की राजनीतिक वर्चस्व की आकांक्षा है। दरअसल, इनमें से कोई एक तर्क किसी नए राज्य को बनाने के लिए पूरा आधार नहीं हो सकता है।

लेकिन अब जबकि उत्तर प्रदेश को ही चार बड़े राज्यों में बांटने की मांग कभी–कभी उठती है तो उसका आधार न तो भाषा है और न ही भौगोलिक असुविधा। उसके विभाजन का एकमात्र कारण कुछ राजनीतिक दलों और वर्ग की राजनीतिक वर्चस्व की आकांक्षा है। दरअसल, इनमें से कोई एक तर्क किसी नए राज्य को बनाने के लिए पूरा आधार नहीं हो सकता है। हमारे देश में दो दर्जन भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें राज्य–भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। लेकिन इससे अलग कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या काफी बड़ी है, कुछ राज्य–भाषाओं से भी अधिक। उदाहरण के लिए भोजपुरी, जिसे बोलने वाले लोग बिहार और उत्तर प्रदेश में फैले

हैं। यदा–कदा भोजपुर राज्य की मांग सुनाई देती है। उत्तर प्रदेश में ही ब्रज, अवधी और बुंदेली भाषाओं को बोलने वालों में भी सुगबुगाहट सुनाई देती है। छोटे आकार के साथ आर्थिक और प्रशासनिक कुशलता को जोड़ना भी कोई सर्वमान्य तर्क नहीं है। उत्तराखंड अब भी केंद्रीय अनुदानों पर टिका हुआ राज्य है और आर्थिक रूप से उसे कोई असाधारण कुशलता मिली है, इस बात का कोई प्रमाण ऐसे छोटे राज्यों ने नहीं दिया। छोटे राज्यों में केवल हरियाणा ही है जहां आर्थिक प्रगति के साफ संकेत मिलते हैं। लेकिन इसलिए कि यह क्षेत्र पहले राजनीतिक रूप से पिछड़ा भले ही रहा हो, आर्थिक रूप से उतना पिछड़ा नहीं था। पानी और कृषि ने इसे प्रगति का अवसर दे दिया।

भौगोलिक दुगर्मता किसी–किसी मामले में एक उचित कारण हो सकती है क्योंकि भूगोल आम तौर पर जातीय विभिन्नता को भी जन्म देता है, अलग–अलग जातियां अलग परिवेश में रहती हैं। पूर्वी भारत के सीमांत पर सात छोटे राज्यों की यही तार्किक संगति है। दरअसल, इतिहास भी किसी राज्य के होने का कारण बनता रहा है। लेकिन जैसे–जैसे भौतिक हालात बदलते हैं, आबादी का अनुपात बदलता है, वैसे–वैसे इतिहास भी अप्रासंगिक बन जाता है। दार्जिलिंग भी वैसा ही पहाड़ी क्षेत्र है जैसे असम या अरुणाचल, लेकिन परंपरा से पश्चिम बंगाल का क्षेत्र होने के बावजूद इसका जनजातीय स्वरूप बदलता रहा है। गोरखा आबादी ने उसे बदल दिया है। कुछ ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान पैदा हो गए थे और वहीं नए राज्य बनाने के कारण बन गए। उदाहरण के लिए गोवा और पुडुचेरी आजादी से पहले ब्रिटिश शासन में नहीं थे। पुडुचेरी पर फ्रांस का अधिकार था तो गोवा आजादी के बाद भी पुर्तगाल के शासन में ही रहा। गोवा मुक्ति आंदोलन के बाद ही वह आजाद हुआ। इनको अलग राज्य का दर्जा देना आवश्यक हो गया क्योंकि इनकी प्रशासनिक व्यवस्थ एकदम अलग थी।

देश में आज कई राज्यों में अलग प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है। बुंदेलखंड की मांग कई दशक पुरानी है। इससे उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश भी प्रभावित होता है। महाराष्ट्र में विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग है। दार्जिलिंग में तो बाकायदा आंदोलन चल रहा है। इसलिए आवश्यक है कि हम नए राज्य बनाने के निश्चित मापदंड स्थापित करें।

देश में आज कई राज्यों में अलग प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है। बुंदेलखंड की मांग कई दशक पुरानी है। इससे उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश भी प्रभावित होता है। महाराष्ट्र में विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग है। दार्जिलिंग में तो बाकायदा आंदोलन चल रहा है। इसलिए आवश्यक है कि हम नए राज्य बनाने के निश्चित मापदंड स्थापित करें। भाषा, जनजातीय स्वरूप, भौगोलिक रचना, आर्थिक संभावनाएं और इतिहास–सभी पर विचार करने के बाद ही किसी नए राज्य की स्थापना होनी चाहिए। अन्यथा हालात बेकाबू होने का खतरा पैदा होता है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की मांग नई नहीं है। सत्तारूढ़ दलों ने इसे अपनी राजनीति के कारण कभी आगे किया, तो कभी पीछे रखा। जब तक इस मांग को दबाए रखना राजनीतिक रूप से सुविधाजनक था तब तक तो आंध्र प्रदेश के बंटवारे का विरोध होता रहा, लेकिन जब राजनीतिक पकड़ कमजोर हो गई तो मामला हाथ से निकल गया। तेलंगाना को बनाने का जो सैद्धांतिक कारण बीस साल पहले था, वहीं आज भी है, केवल राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। राजशेखर रेड्डी के जीवनकाल में कांग्रेस की नीति तेलंगाना विवाद को दबा कर रखने की थी। उस समय राज्य में कांग्रेस ही सबसे शक्तिशाली पार्टी थी और अधिकतम सीटें उसे ही मिलती थीं। लेकिन राजशेखर के मरने के बाद अचानक अराजकता का माहौल हो गया। न केवल उनके पुत्र जगनमोहन ने बगावत की, अपितु कांग्रेस भी दो फाड़ हो गई। ऐसे माहौल में तेलंगाना आंदोलन को काबू में रखना आसान नहीं रहा और केंद्र सरकार को जैसे–तैसे यह मांग स्वीकार करनी पड़ रही है। लेकिन यह तय है कि विभाजन के बाद भी कई स्तरों पर विवाद बने ही रहेंगे, क्योंकि कई मुद्दों पर पहले से विचार हुआ ही नहीं। राजनीतिक लक्ष्य पाने के लिए अगर राज्यों के बंटवारे को माध्यम बनाया जाए तो उसमें वह वैज्ञानिकता नहीं रह पाती है जो नए राज्य की रचना के लिए आवश्यक होती है। सही मानकों के आधार पर हुए विभाजन में संपत्तियों के विवाद पैदा नहीं होते, जैसा कि अब आंध्र प्रदेश में हो रहा है। राज्यों का विभाजन केवल राजनीतिक मामला नहीं है। इसके अन्य पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है जितना राजनीतिक प्राथमिकताओं पर। ❑

भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ दिखावटी जंग

हाल ही में आयी अमेरिकी रिसर्च ग्रुप जीएफआई की रिपोर्ट बताती है कि देश से बाहर कालाधन भेजने के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शुमार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2002 से 2011 के बीच 343.04 अरब डॉलर के बराबर कालाधन देश से बाहर भेजा गया जबकि 2002 में यह धनराशि 270.03 अरब डॉलर थी। इससे साफ जाहिर होता है कि एक दशक के दरम्यान कालेधन में बेतहाशा वृद्धि हुई है।

■ अरविन्द जयतिलक

भारतीय जनजीवन में कालाधन और भ्रष्टाचार दुध में पानी की तरह इस कदर घुल–मिल चुका है इससे छुटकारा मिलना अब संभव नहीं लगता। हाल ही में आयी अमेरिकी रिसर्च ग्रुप जीएफआई की रिपोर्ट बताती है कि देश से बाहर कालाधन भेजने के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शुमार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2002 से 2011 के बीच 343.04 अरब डॉलर के बराबर कालाधन देश से बाहर भेजा गया जबकि 2002 में यह धनराशि 270.03 अरब डॉलर थी। इससे साफ जाहिर होता है कि एक दशक के दरम्यान कालेधन में बेतहाशा वृद्धि हुई है।

वर्ष 2002–11 के बीच बाहर भेजे गए ब्लैकमनी पर तैयार इस रिपोर्ट को वॉशिंगटन बेस्ड रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गनाइजेशन ग्लोबल फाइनेंसल इंटीग्रिटी द्वारा तैयार किया गया है जिसमें बताया गया है कि ब्लैकमनी के दुनिया के टॉप 15 एक्सपोर्टरों में से छह ऐशियाई देशों में भारत भी है। विडंबना यह कि इन तथ्यों से अवगत होने के बाद भी भारत सरकार कालेधन के प्रवाह पर रोक लगाने का प्रयास नहीं कर रही है। वित्तमंत्री पी. चिदंबरम सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी से देश को समझाने में लगे हैं कि उनकी सरकार कालेधन को वापस लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी भारत से कालाधन दुबई, सिंगापुर और मॉरिशस के जरिये स्विट्जरलैंड जैसे टैक्स हैवेन देशों को भेजा जा रहा है।

दिलचस्प तथ्य यह कि कालाधन खपाने के मामले में सिर्फ स्विस बैंक ही एकमात्र पनाहगाह नहीं है। इस खेल में भारत के घरेलू बैंक भी शामिल हैं। पिछले दिनों खुलासा हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक की कड़ी निगरानी के बाद भी देश के कई बैंक गैर–कानूनी तरीके से धन का लेन–देन कर रहे हैं। पिछले दिनों एक निजी पोर्टल ने बैंकों में मनीलाउंड्रिग का काम होने का खुलासा किया। फिलहाल संबंधित सारे मामले की जांच फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) द्वारा किया जा रहा है।

एक आंकड़े के मुताबिक पिछले चार वर्षों में सरकारी और निजी बैंकों के खिलाफ मनीलाउंड्रिग के 957 मामले दर्ज हुए। यह स्थिति तब है जब वर्ष 2010 के बाद भारतीय रिर्जव बैंक ने बैंकों में चलने वाले मनीलाउंड्रिग के खेल पर रोक लगाने के लिए कठोर नियम बनाए हैं। उचित होगा कि रिर्जव बैंक मनीलाउंड्रिग में लिप्त बैंकों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि इस किस्म के भयावह भ्रष्टाचार को रोका जा सके।

पिछले दिनों ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि भारत में भ्रष्टाचार कम होने की बजाय बढ़ा है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल की तरह इस साल भी भारत 177 देशों की सूची में 94वें पायदान पर है। सर्वे के मुताबिक 68 फीसदी भारतीयों ने भष्टाचार के लिए सरकार को जिम्मेदार माना है। उनका

कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार से निपटने की दिशा में कुछ ठोस पहल नहीं कर रही है लिहाजा भ्रष्टाचार का विस्तार हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 54 फीसदी लोगों ने स्वीकारा है कि उन्होंने सरकारी सेवाएं हासिल करने के लिए रिश्वत दी है। रिपोर्ट में 86 फीसदी लोगों ने राजनीतिक दलों को भ्रष्ट कहा है। रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित है कि भारत में प्रजातांत्रिक–कानूनी संस्थाओं से लोगों का विश्वास उठा है।

समग्र रूप से ये आंकड़े दर्शाते हैं कि जनता की लामबंदी और सरकारों की सक्रियता के बावजूद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हुए हैं। जबकि उम्मीद थी कि इन प्रयासों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन मौजूदा हालात तो यही बयान करते हैं कि सरकार और समाज के स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयास प्रभावी सिद्ध नहीं हुए। दरअसल इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार विरोधी कानून का ईमानदारी से पालन न होना, भ्रष्टाचार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई में देरी और भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा न मिलना है। साथ ही भ्रष्टाचार की एकांगी और अधकचरी व्याख्या भी इसके लिए जिम्मेदार है।

देश में यह धारणा बन चुकी है कि घूस लेना, कमीशन खाना, और अवैध तरीके से धन जमा करना ही एकमात्र भ्रष्टाचार है, लेकिन यह धारणा संकुचित है। भ्रष्टाचार को व्यापक नजरिए से देखे जाने की जरूरत है। उचित होगा की भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए इसकी व्याख्या को तार्किक बना व्यक्ति के नैतिक आचरण से जोड़ा जाए। पिछले दिनों इंस्टीस्ट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्टडीज एनालिसिस (आईडीएसए) की रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में ऐसे कृत्यों को भ्रष्टाचार माना गया है जो व्यक्ति के आचरण से जुड़ा है। मसलन सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय और नैतिक उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता और उसके उल्लंघन को भी भ्रष्टाचार माना गया है। कहा गया है कि अगर आप बिना बताए अपने काम से गैर हाजिर रहते हैं या कम ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो यह भी भ्रष्टाचार ही है।

भारत में इस तरह का भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकारी सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्य संस्कृति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अकसर उन पर जवाबदेही, टालू रवैया कार्य की उपेक्षा जैसे आरोप लगते हैं। यही नहीं स्कूलों, कॉलेजोंसे शिक्षकों का पलायन भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।

पिछले दिनों विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि निजी फायदे के लिए सार्वजनिक कार्यालय एवं पद का दुरूपयोग भी भ्रष्टाचार की परिधि में आता है। देखा जाए तो भ्रष्टाचार का कैंसर सिर्फ सरकारी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। निजी क्षेत्र भी इसकी चपेट में हैं। पूंजीस्वामियों द्वारा अपने मातहत कर्मचारियों का शोषण, उनकी जायज मांगों की उपेक्षा, टैक्स में चोरी और नियमों के विपरीत जाकर स्वार्थ के लिए काम करना भी भ्रष्टाचार है। विडंबना है कि ऐसे कृत्यों को भ्रष्टाचार नहीं माना जाता है। उचित होगा कि सरकार और समाजकालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखावे की जंग बंद कर उसके समूल नाश की ईमानदार और सकारात्मक पहल करें। ❑

दिलचस्प तथ्य यह कि कालाधन खपाने के मामले में सिर्फ स्विस बैंक ही एकमात्र पनाहगाह नहीं है। इस खेल में भारत के घरेलू बैंक भी शामिल हैं। पिछले दिनों खुलासा हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक की कड़ी निगरानी के बाद भी देश के कई बैंक गैर–कानूनी तरीके से धन का लेन–देन कर रहे हैं। पिछले दिनों एक निजी पोर्टल ने बैंकों में मनीलाउंड्रिग का काम होने का खुलासा किया। फिलहाल संबंधित सारे मामले की जांच फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) द्वारा किया जा रहा है।

चीन और कोरिया की सरकारों ने जब माईकल जैक्सन को इस बिना पर अपने देश में आने नहीं दिया कि उसका शो सांस्कृतिक हमला है, तब वे अपनी स्वदेशी भावना ही जाहिर कर रहे थे। यह घटना यह भी जताती है कि 'स्वदेशी' भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एक व्यापक आधार वाली विचारधारा है जो राष्ट्रीय जीवन के तमाम पहलुओं को खुद में समेटती है। तो स्वदेशी, यह भावना है, केवल आर्थिक बात नहीं है, और इस भावना के आधार पर ही स्वदेश ऊपर जा सकता है। "देशप्रेम की साकार और व्यावहारिक अभिव्यक्ति है स्वदेशी।" देश प्रेम का अर्थ दुनिया से अलग-थलग रहना नहीं है, खासकर हमारी परंपरा में, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आधार पर टिकी है। इसके मुताबिक, मानवीय चेतना के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद का ही विस्तार है।

– राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी

अलविदा! भ्रष्ट यूपीए-2 सरकार

राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, आदर्श घोटाला, टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाले आदि को दबाने की कोशिश क्यों की गई? दिल्ली के लोकपाल ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ अनियमितता के आरोप लगाए थे। उन्हें संरक्षण किसने प्रदान किया? घोटालों का पर्दाफाश करने वाले महालेखापाल पर आंकड़ों को बढ़ाचढ़ा कर पेश करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने अदालत की फटकार के बाद भ्रष्टाचार होना कैसे कबूल कर लिया? आजादी के बाद की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार ने पाताल, धरती और आकाश – सभी जगह अपने घोटालों की छाप छोड़ी है।

■ बलवीर पुंज

संप्रग सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। प्रधानमंत्री निजी तौर पर भले ही बेदाग हों, किंतु कोयला घोटाले से उनकी विश्वसनीयता को भी क्षति पहुंची है। अब जब लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं तो कांग्रेस 'भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम', सरकारी दफ्तरों में शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने के लिए 'सिटिजन चार्टर', अनुसूचित जाति–जनजाति (अत्याचार निवारण कानून) और विकलांगों से संबंधित विधेयक अध्यादेश के माध्यम से लागू करना चाहती थी, जिस पर फिलहाल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्तक्षेप के कारण ब्रेक लग गया है। वास्तव में इन विधेयकों के द्वारा कांग्रेस जनता को यह संदेश देना चाह रही थी कि वह भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है। यदि यूपीए–2 ईमानदार थी तो पिछले दस सालों में ये विधेयक संसद में क्यों नहीं रखे गए? कोर्ट की चाबुक पड़ने तक प्रधानमंत्री और सरकार हर घोटाले से इंकार क्यों करते रहे?

पिछले दिनों अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी द्वारा जारी वार्षिक 'कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस' में वर्तमान कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के कार्यकाल में सत्ता के शिखर तक व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख वस्तुतः विश्व में भारत की गिरती साख को ही रेखांकित करता है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'सरकार में सभी स्तर पर भ्रष्टाचार है। जनवरी से नवंबर के बीच सीबीआई ने भ्रष्टाचार के 583 मामले दर्ज किए। केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास 2012 में भ्रष्टाचार के 5528 मामले आए, जबकि 1696 मामले

जनवरी से नवंबर के बीच सीबीआई ने भ्रष्टाचार के 583 मामले दर्ज किए। केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास 2012 में भ्रष्टाचार के 5528 मामले आए, जबकि 1696 मामले उसके पास 2011 के हैं। रिपोर्ट में सरकारी काम कराने के लिए लोगों से रिश्वत लेने का उल्लेख होने के साथ इस बात का भी जिक्र है कि गरीबी दूर करने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाए गए बहुत से सरकारी कार्यक्रम भ्रष्टाचार का शिकार हुए। यूपीए–2 यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है तो उसने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और बसपा नेत्री मायावती के खिलाफ स्रोत से अधिक आय के मुकदमे वापस लेने की पहल क्यों की?

उसके पास 2011 के हैं। रिपोर्ट में सरकारी काम कराने के लिए लोगों से रिश्वत लेने का उल्लेख होने के साथ इस बात का भी जिक्र है कि गरीबी दूर करने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाए गए बहुत से सरकारी कार्यक्रम भ्रष्टाचार का शिकार हुए। यूपीए–2 यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है तो उसने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और बसपा नेत्री मायावती के खिलाफ स्रोत से अधिक आय के मुकदमे वापस लेने की पहल क्यों की? राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, आदर्श घोटाला, टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाले आदि को दबाने की कोशिश क्यों की गई? दिल्ली के लोकपाल ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ अनियमितता के आरोप लगाए थे। उन्हें संरक्षण किसने प्रदान किया? घोटालों का पर्दाफाश करने वाले महालेखापाल पर आंकड़ों को बढ़ाचढ़ा कर पेश करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने अदालत की फटकार के बाद भ्रष्टाचार होना कैसे कबूल कर लिया? न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होता तो कांग्रेस अब तक इन घोटालों की लीपापोती कर चुकी होती। अदालतों के आदेश के कारण ही घोटाले जनता के सामने आ सके। इसलिए अध्यादेश लाकर भ्रष्टाचार से लड़ने का दिखावा वस्तुतः जनता की नजरों में धूल झोंकना है।

लोकसभा के अंतिम सत्र में लोकपाल विधेयक को मंजूरी मिली थी। किंतु अब देश का पहला लोकपाल चुनने का वक्त आया है तो यहां भी सरकार की धूर्तता का खुलासा हो रहा है। कोई भी कानूनविद् लोकपाल चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि सरकार ने लोकपाल नियुक्ति पर भी सरकारी नियंत्रण की जुगत भिड़ा रखी है। अधिवक्ता फली एस नरीमन के बाद अब न्यायमूर्ति केटी थॉमस ने भी लोकपाल चयन प्रक्रिया का अंग बनने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री को भेजी चिट्ठी में थॅमस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इस समिति के औचित्य पर ही कटु टिप्पणी की है। इससे पूर्व नरीमन ने भी चयन प्रक्रिया को हास्यास्पद और बेतुका बताया था। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार से उकता चुकी जनता कांग्रेस को सबक सिखाने का निश्चय कर चुकी है। ऐसे में सत्ता से बाहर रहने पर अपने कार्यकाल में हुए घोटालों से राहत पाने के लिए ही कांग्रेस लोकपाल को भी 'मैनेज' करने की जुगाड़ में है।

पिछले दस सालों में कमीशनखोरी इस सरकार की सबसे बड़ी पहचान बनी है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रिटिश कंपनी रॉल्स रॉयस से विमान इंजन खरीद प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की है। कटु सत्य यह है कि यदि भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता रक्षा सौदों में कमीशन नहीं बना सकते तो रक्षा खरीदारी में उनकी कोई रुचि नहीं है। नौ सेना में पुराने उपकरणों के कारण एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। अभी सिंधुरत्न पनडुब्बी हादसे का शिकार हुई। तीन दशक पूर्व रूस से लिए गए इन पनडुब्बियों के अक्षम हो और रखरखव की समस्या की शिकायत नौसेना कर रही थी। पनडुब्बी में हुए विस्फोट में दो नौसैन्य अधिकारी, लेफ्टिनेंट मनोरंजन कुमार और लेफ्टिनेंट कपीश मुवाल मारे गए, जबकि ग्यारह सैन्यकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। इससे पूर्व 14 अगस्त 2013 को सिंधुरक्षक में आग लगने से 18 नौसैन्य कर्मी मारे गए। सिंधुरत्न हादसे के 96 घंटे पहले ही लेफ्टिनेंट मनोरंजन कुमार ने यह चेतावनी दी थी कि सिंधुरत्न और इसकी सहयोगी पनडुब्बियों को ऑपरेट करना जिंदा बम पर तैरने जैसा है।

आजादी के बाद की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार ने पाताल, धरती और आकाश – सभी जगह अपने घोटालों की छाप छोड़ी है। लोकलुभावन वादों और घोषणाओं के बल पर जनता से क्षमादान मिलने की उम्मीद कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए।❑

स्वदेशी क्या है?

स्वदेशी क्या है? उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि बात उस समय की है, जिस समय जापान, अमरीका के प्रभाव क्षेत्र में था, आज नहीं है, आज बराबरी का है, लेकिन उस समय प्रभाव में था, उस समय कैलिफोर्निया में बहुत संतरे हुए 'ओरेन्जेस' तो अमरीका ने जापान को कहा, कि आपके यहां महिलाओं को संतरे बहुत पसंद आते हैं, तो हमारे संतरे आपकी मंडी में भेजेंगे, जापान ने कहा कि आपके संतरे भेजने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु अमरीका ने कहा कि नहीं हम भेजने ही वाले हैं, उस समय जापान को मानना पड़ा, जापान की मंडियां अमेरिकन संतरे से भर गई थीं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सभी मंडियों में बहुत संतरे होते हुए भी, एक भी संतरा नहीं बिका पूरे जापान में। जबकि जापानी महिलाओं को संतरे बहुत पसंद हैं फिर भी एक संतरा नहीं बिका इसी का नाम स्वदेशी है।

– राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी

समाचार परिक्रमा

अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी

आज देश की आर्थिक वृद्धि दर मुख्य रूप से कृषि और सेवा क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत रही। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर इससे पहले जुलाई–सितंबर तिमाही में 4.8 प्रतिशत और अप्रैल–जून तिमाही में 4.4 प्रतिशत रही थी। इस लिहाज से चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने (अप्रैल–दिसम्बर) में वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत रही। एक साल पहले इस अवधि में यह 4.5 प्रतिशत थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2012–13 की तीसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत रही थी। सीएसओ ने वित्त वर्ष 2013–14 के अग्रिम अनुमान में आर्थिक वृद्धि दर 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। वही दूसरी तरफ पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों, कोयला और प्राकृतिक गैस उत्पादन में कमजोर प्रदर्शन से जनवरी माह में आठ प्रमुख ढांचागत क्षेत्र के उद्योगों की उत्पादन वृद्धि कमजोर पड़कर 1.6 रह गई है। ❑

निर्यात लक्ष्य हासिल होना मुश्किल

भारतीय निर्यातक संगठनों के परिसंघ के अध्यक्ष रफीद अहमद के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान 3.25 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य होना मुश्किल है। आज विनिर्माण वृद्धि में गिरावट जैसे घरेलू कारक और वैश्विक मांग में धीमी गति से सुधार देश के निर्यात में धीमी वृद्धि की प्रमुख वजह रही है। देश का वस्तु निर्यात चालू वित्त वर्ष के अंत तक 312 से 315 अरब डॉलर तक रह सकता है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जनवरी के दौरान निर्यात कारोबार एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 5.71 प्रतिशत बढ़कर 257 अरब डॉलर हो गया जबकि आयात 7.81 प्रतिशत घटकर 377 अरब डॉलर रहा है। इसे आज लक्ष्य के मुकाबले करीब 10 लाख डॉलर कम रहने का अनुमान है। ❑

चीन ने अपने रक्षा बजट में किया भारी इजाफा

चीन की सरकार ने इस साल अपना रक्षा बजट 808.2 अरब युआन का रखा है जो करीब 132 अरब डॉलर के बराकर की राशि है। पिछले कुछ सालों से चीन अपनी सेना के व्यापक आधुनिकीकरण पर खास जोर दे रहा है। इस भारी भरकम बढ़ोतरी के खर्च पर चीन का तर्क है कि यह खर्च के जरूरत के लिहाज से कम है।

चीन का कहना है कि वह अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का महज 1.5 प्रतिशत रक्षा पर खर्च कर रहा है जबकि औसत वैश्विक खर्च जीडीपी का तीन प्रतिशत है। चीन के अनुसार वह लगातार सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमरीका द्वारा अपने नौसैनिक बेड़े का 60 फीसदी तैनाती प्रशांत महासागर करने की योजना ने भी चीन को अपना रक्षा बजट बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। चीन के भारी रक्षा बजट से अब पश्चिम देश भी चिंतित है। वही भारत का रक्षा बजट इस साल 36 अरब डॉलर है। ❑

कृषि पर निर्भर आबादी में इजाफा

वर्ल्डवाच संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में सेवा क्षेत्र के विस्तार होने के बाद भी कृषि पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। वर्ष 1980 से 2011 के बीच 50 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है जो इस दौरान किसी भी देश के लिए सर्वाधिक है। रिपोर्ट के अनुसार कृषि में लगी आबादी में बढ़ोतरी के मामले में दूसरे नंबर पर चीन है जहां पर ऐसी आबादी में 33 प्रतिशत की वृद्धि आई है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार अमरीका में कृषि में बड़े पैमाने पर मशीनीकरण के कारण वहां कृषि से जुड़ी आबादी 37 प्रतिशत कम हुई है। 1980 से 2011 के बीच कुल आबादी में वृद्धि के चलते चीन और भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय कृषि आबादी क्रमशः 33 फीसदी और 40 फीसदी बढ़ी है। वर्ष 2011 में विश्व की कृषि आबादी 37 प्रतिशत थी। इसमें शिकार, मछली पकड़ने और वानकी आदि में लगी आबादी भी शामिल थी। वही देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगातार घटता जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में रोजगार के मौके बढ़ाने की वजह से ऐसा हुआ है। वर्ष 1950–51 में कृषि की जीडीपी में 51.9 फीसदी हिस्सेदारी थी जो वर्ष 2012–13 में घटकर 13.7 फीसदी रह गई है। ❑

वर्ष 2014 दो नए देशों का होगा उदय

ब्रिटेन से अलग होने के लिए स्कॉटलैंड के लोग 18 सितंबर, 2014 को जनमत संग्रह में भाग लेंगे। जनमत संग्रह में एक सवाल का जवाव हां या नहीं में पूछा जाएगा।

इसी तरह स्पेन से अलग होने के लिए 9 नवम्बर, 2014 को केटलोनिया में जनमत संग्रह किया जाना मंजूर हुआ है।

सेना के आधुनिकीकरण पर सरकार की बेरूखी

आज चीन के आक्रामक रूख और पाकिस्तान की गुस्ताखियों के बावजूद भी हमारी सेना के आधुनिकीकरण के लक्ष्य की कमी को सरकार गंभीरता से नहीं ली रही है। नतीजा पनडुब्बियां हादसा भी सामने आ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नौसेना ने 2010 में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आगाह कर दिया था कि 2015 तक पनडुब्बियों की तादाद 5 से 6 तक रह जाएगी साथ ही पनडुब्बियों में गड़बड़ियों का भी उल्लेख किया गया था। हथियारों की खरीद की जटिल प्रक्रिया, घूसखोरी ने भी सेना को सामरिक मोर्चे पर कमजोर कर दिया है और उसकी साख पर भी सवाल उठे है। आज भारतीय सेनाएं ज्यादातर सोवियत युग में खरीदे गए लड़ाकू विमानों और टैंकों पर निर्भर है। भ्रष्टाचार ने रक्षा खरीद और सैन्य आधुनिकीकरण के लक्ष्य को पटरी से उतार दिया है। ❑

भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री डकैतों पर अंकुश

सीजीपीसीएस के अहम सदस्य के रूप में सोमालिया के तटीय क्षेत्रों में डकैती की घटनाओं को कम करने में भारतीय नौसेना की भूमिका अहम रही है। काउंटर पाइरेसी एंड मैरीटाइम सेक्योरिटी की अमरीकी समन्वयक डोन्ना होपकिंस का भी कहना है कि समुद्र के रास्ते यातायात को सुरक्षित बनाने की दिशा में भारत का अहम योगदान निभाता है। अदन की खाड़ी में भारत का सबसे ज्यादा कारोबार होता है। वहां 20 से 24 भारतीय जहाज हर माह गुजरते हैं। अब तक 40 फीसदी डकैती की कोशिशों को भारतीय नौसेना ने नाकाम की है। 14 जनवरी 2009 को सोमालिया तट के पास समुद्री लूटेरों पर लगाम लगाने के लिए कांटेक्ट ग्रुप ऑन पाइरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया बनाया गया। यह एक अंतरराष्ट्रीय समूह है जिसका काम समुद्री यातायात के संदर्भ में योगदान बढ़ाना है। ❑

अब फैसला जनता को करना है

अब मतदान की तारीखें तय हो चुकी है। चुनाव आयोग ने देश की जनता को वोट का अस्त्र थमा दिया है। फैसला जनता को करना है कि वे किसको वोट देंगे। आम चुनाव 7 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई तक नौ चरणों में होंगे। 16 मई को मतगणना के बाद सभी 543 सीटों की परिणाम घोषित किए जाएंगे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा में 10 अप्रैल को मतदान होगा। पहली बार नौ चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। 7 अप्रैल से 12 मई अब तक हुए चुनावों की सबसे लंबी अवधि होगी। साथ ही तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे जिनमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम हैं। प्रत्याशी को नापसंद करने के लिए नोटा का विकल्प दिया जाएगा और मतदाताओं को फोटो पर्ची मिलेगी। पहली बार 81 करोड़ मतदाताओं में 10 करोड़ नए मतदाता जुड़े। 18 से 19 साल के बीच 2.3 करोड़ मतदाताओं की संख्या। अब सभी पार्टियों को अपना घोषणापत्र चुनाव आयोग के दिशानिर्देश में ही घोषणापत्र बनाना होगा। ❑

दिल्ली-मुंबई दुनिया के सस्ते शहर

एक तरफ देश में महंगाई से आम आदमी परेशान है पर अंतरराष्ट्रीय सर्वे के अनुसार दिल्ली और मुंबई दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में से एक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) के 2014 वर्ल्डवाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में सिंगापुर को सबसे महंगा शहर करार दिया गया है। देश के दिल्ली और मुंबई महंगाई के मामले में इन देशों से काफी पीछे है। मुंबई में वेतन में असमानताओं की वजह से वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें कम हैं। शहरी कामगार पगार कम होने की वजह से खर्च भी सीमित रखते हैं। भारत के अलावा सीरिया की राजधानी दमिश्क दुनिया का चौथा सबसे सस्ता शहर है। वहां लगातार गिरती कीमतों के कम होने की वजह से देश में गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है। ईआईयू का सर्वे विस्थापन मापने का एक तरीका है। इसमें न्यूर्यार्क शहर को आधार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के 140 शहरों में 160 से ज्यादा चीजों और सेवाओं के दामों का अध्ययन किया जाता है। देखा जाए कंपनियों को इस तरह अपने कर्मियों को दूसरे देशों में भेजने पर खर्च का आकलन में मदद मिलती है।

सबसे महंगे 5 शहर – सिंगापुर, ओस्लोद, ज्यूरिख, सिडनी, टोक्यो हैं। जबकि सस्ते 5 शहरों की सूची में मुंबई, कराची, दिल्ली, दमिश्क और काठमांडू हैं। ❑

स्मार्टफोन बाजार में घरेलू कंपनियों की धूम

मोबाइल फोन का कारोबार आज देशभर में काफी बढ़ चुका है। अब भारतीय मोबाइल कंपनियां भी विदेशी मोबाइल कंपनियां को टक्कर दे रही है। एक सर्वे के अनुसार यह बात सामने आई है। देश में स्मार्टफोन की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। माइक्रोमैक्स और कार्बन जैसी घरेलू कंपनियों के सस्ते स्मार्टफोन बाजार में आने की वजह से इनकी बिक्री में तेजी आई है। अनुसंधान फर्म आईडीसी के अनुसार वर्ष 2013 में स्मार्टफोन की बिक्री के मामले में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में भारत भी है। इस तेज बिक्री की वजह घरेलू कंपनियों की किफायती कीमतों में स्मार्टफोन की पेशकश है। वर्ष 2013 की चौथी तिमाही में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में माइक्रोमैक्स 16 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरे और कार्बन 10 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वर्ष 2013 में देशभर में कुल मोबाइल फोन की बिक्री 18 प्रतिशत से बढ़कर 25.7 करोड़ इकाइयों की रही। अब वर्ष 2014 में भी भारत का स्मार्टफोन बाजार तेजी से गति पकड़ेगा। ❑

संगम में डुबकी आपको बचाएगी संक्रामक रोगों से

पिछले साल महाकुंभ में संगम स्नान करने वाले कल्पवासियो पर हुए अध्ययन के बाद यह खुलाया हुआ है कि अगर आप टीबी, डेंगू, स्वाइन फ्लू, टाइफायड व चिकनगुनिया जैसी संक्रामक बीमारियों से बचना चाहते हैं तो संगम में डुबकी अवश्य लगाइए। इसमें मौजूद सुपरबग जीवाणु इन बीमारियों के कारकों को नष्ट करने में सक्षम है। एसएन त्रिपाठी मेमोरियल फाउंडेशन के महासचिव डॉ. वाचस्पति त्रिपाठी के अनुसार 2013 में संगम में आयोजित महाकुंभ के दौरान देश के 6 संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने शोध किया था। इसमें काफी सार्थक परिणाम सामने आए है। वर्ष 2013 के महाकुंभ में प्रत्येक प्रमुख स्नान पर संगम स्थल से जल लगभग 700 नमूने लिए गए। इसके साथ ही कल्पवास करने वाले एक हजार लोगों के रक्त के नमूनों का भी परीक्षण किया गया। पहले स्नान से अंतिम स्नान के बीच लिए गए जल के नमूने व कल्पवासियों के खून के नमूनों में प्राकृतिक सूक्ष्म जीवाणु के सुपरबग पाए गए। वही रक्त के पहले दिन और अंतिम दिन के नमूनों में जल में उपस्थित जीवाणुओं से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता में लगातार वृद्धि पाई गई। वैज्ञानिकों के अनुसार संगम के जीवाणु हैं प्राकृतिक वैक्सीन। शोध में पाया गया कि सुपरबग ऐसे जीवाणु है जिनपर किसी औषधि का प्रभाव नहीं होता लेकिन गंगा में इसकी उपस्थिति प्राकृतिक वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है। ❑

आई.आई.टी. पिछड़े विश्व रैकिंग में

भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) की 2014 वार्षिक सूची में शामिल नहीं हो सकी है। पत्रिका के संपादक फिल बेती के अनुसार भारत इस सूची में 200वें पायदान पर है। टाइम पत्रिका आधिकारिक रूप से केवल विश्व के शीर्ष 100 संस्थानों की रैकिंग करती है। सूची में चीन के दो, रूस और ब्राजील के एक–एक विश्वविद्यालय इस सूची में है। देखा जाए तो यह भारत के लिए चिंता का कारण हो सकता है। ❑

इंटरनेट यूजर रहे सतर्क

साइबर विशेषज्ञों ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि इंटरनेट सर्चिंग ब्राउजर गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स हैकरों का आसान निशाना बन सकते हैं। देश में इंटरनेट यूजरों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स को अपग्रेड करना चाहिए।

कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम ऑफ इंडिया के अनुसार थंडरवर्ड और सीमंकी साफ्टवेयर के जरिए दूर बैठे साइबर हैकर सुरक्षा दीवारों को तोड़कर संवेदनशील जानकारियों में सेंध लगा सकते हैं। क्रोम और मोजिला के पुराने संस्करणों में कई खतरनाक वायरस सक्रिय है। जिसके कारण हैकर आपके कंप्यूटर पर पूरी तरह नियंत्रण कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार मोजिला फायरफॉक्स सुरक्षा दृष्टि से ज्यादा कमजोर है। खासकर एंड्रायड आपरेटिंग सिस्टम पर मोजिला प्रयोग करने वालों को खतरा ज्यादा है। ❑

मूलभूत सेवाएं देने में यूपी-बिहार फिसड्डी

देश में जीवन यापन के स्तर में काफी बदलाव आया है लेकिन मूलभूत सेवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज्यादा वंचित है। इस बात का खुलासा मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में आया है।

रिपोर्ट के अनुसार 59 प्रतिशत लोगों की बिहार और यूपी में अनिवार्य जरूरतें पूरी नहीं होती है।

वही दूसरी तरह देश में 56 प्रतिशत जनसंख्या अपनी अनिवार्य जरूरतों की पूर्ति करने से हैं वंचित।

अरबपतियों की लिस्ट में नंबर पांच पर भारत

अब चीन की अनुसंधान कंपनी हुरून ने अरबपतियों की सूची जारी की है। अरबपतियों की तादाद के लिहाज से भारत विश्व में पांचवें स्थान पर है और देश में कुल 70 अरबपति हैं। मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जिनके पास 18 अरब डालर की व्यक्तिगत संपत्ति है। इस सूची में 68 देशों के 1,867 अरबपतियों के नाम शामिल किए गए। इन अमीरों के पास है 6,900 अरब डालर की संपत्ति है। इस लिस्ट में अमेरिका के 481 और चीन के 358 अरबपति शामिल है। बिल गेट्स को मिला इस सूची में प्रथम स्थान। बिल गेट्स बिल गेट्स की कुल निजी संपत्ति 68 अरब डालर है। ❑

अमरिकी की कंपनियों ने तेज किया भारत विरोधी अभियान

अमरिकी कंपनियों के एक प्रभावशाली समूह ने भारत विरोधी अपना अभियान तेज करते हुए राष्ट्रपति ओबामा प्रशासन से मांग की है कि भारत को तथाकथित 'प्राथमिकता वाला देश' घोषित किया जाए। इन सूची में ऐसे देशों को रखा जाता है जहां कारोबार में बौद्धिक संपदा अधिकार का सबसे अधिक उल्लंघन होता और जिनके कारण अमरिकी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा की शक्ति प्रभावित होती है। मांग करने वाली कंपनियों में खासकर फार्मा और विनिर्माण क्षेत्र की हैं। आज अमेरिकी बाजार में भारतीय दवा की बढ़ती धाक से अमेरिकी कंपनियां चिंतित हैं इसलिए अब उन्होंने नया हथकंडा अपनाया। अमरीकी कंपनियों ने आरोप लगा कि भारत की कारोबारी नीतियां भेद–भावपूर्ण हैं और ये बौद्धिक संपदा की पर्याप्त रूप से सुरक्षा नहीं करती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत को इस सूची में शामिल करने को लेकर अमरिकी उद्योग तथा व्यापार लाबी अपनी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। ❑

देश में 61 फीसदी किसान खेती छोड़ना चाहते हैं

देश में केंद्र और राज्य सरकारें भले ही किसानों के लिए कई योजनाओं के दावे करें, लेकिन किसानों का मोह खेती से भंग हो रहा है। तभी तो आज देश के 61 प्रतिशत किसान शहर में रोजगार मिलने पर खेती छोड़ने को तैयार हैं। जबकि ग्रामीण इलाकों 20 प्रतिशत युवा ही खेतीबाड़ी में रुचि रखते हैं।

सीएसडीएस शोध संस्थान द्वारा और भारत कृषक समाज के किसान सर्वे में यह सामने आया है। किसानों की सोच, समझ और सामाजिक–आर्थिक स्थिति जानने के लिए हुए इस सर्वेक्षण में 18 राज्यों के 137 जिलों में 11 हजार किसानों की राय ली गई। भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने बताया कि इस सर्वेक्षण में किसानों की स्थिति और योजनाओं के लाभ किसानों तक पहुंचने में सरकार की नाकामी से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सर्वे में 60 फीसदी किसान चाहते हैं कि उनके बच्चे शहर में रहे और 61 फीसदी किसान ऐसे हैं जो शहर में रोजगार मिलने पर खेती छोड़ने को तैयार हैं। जबकि ज्यादातर नौजवानों की खेती में दिलचस्पी नहीं है। ❑

बजंर भूमि पर सामूहिक खेती करके झारखण्ड की महिलाओं ने दिखाई एक मिसाल

गुमला जिला (झारखंड) में बंजर जमीन पर सामूहिक खेती कर जनजातीय महिलाएं आज स्वावलंबी बन रही है। इससे उनके जीवन में बदलाव भी आ रहा है। उन्हें अब घर–परिवार की कई समस्याओं से भी मुक्ति मिल रही है।

पिछले चार साल से यह काम जारी है। अब महिलाएं 'महिला मंडल' का गठन कर स्वरोजगार के अवसर तलाश रही है। हर मंडल में 30–30 महिलाएं होती हैं। काफी बैठकों के बाद उन्होंने कृषि को रोजगार के रूप में अपनाने का निर्णय लिया और बेकार पड़ी जमीनों पर गेहूं और गन्ने की खेती करने की योजना बनाई जो आज एक मिसाल बन गई है।

शुरूआती दौर में बजंर भूमि पर काम करना आसान नहीं था। महिला मंडल ने अपने परिजनों को भी खेती के लिए राजी किया। सिंचाई की समस्या के लिए उन्होंने जिला प्रशासन से भी मदद मांगी और छोटे–छोटे पानी स्रोतों से पानी खींचने की व्यवस्था का निर्माण भी करवाया।

हर मंडल में 30–30 महिलाएं होती है। बदलाव की यह शुरूआत अब घाघरा, नवाटोली, खटंगा, करंज, परसा समेत आसपास के गांवों में महिलाएं चंपा, जूही, चमेली, अलबेला, गुलाब कलश और महिला मंडल का गठन का स्वरोजगार के अवसर बढ़ा रही हैं।

जनजाति क्षेत्र में महिला शिक्षाः आवश्यकता, समस्याएं एवं समाधान

आदिवासी क्षेत्र के गांवो में विशेष रुप से महिलाओं में शिक्षा का अभी भी आभाव है। इसलिए महिला ग्राम प्रधानों में पर्याप्त शैक्षणिक ज्ञान के आभाव तथा विकास योजनाओ की तकनीकी जटिलताओं के प्रति अनुभिज्ञता के कारण स्वास्थ्य के विकास से संबंधित बहुत सी योजनाऐं गांवो में या तो क्रियान्वित नहीं हो पायी या यदि लागू हुई भी है तो अनुचित ढंग से लागू हुई।

■ डॉ. अनामिका पाण्डे

शिक्षा समाज को सभ्य और उन्नत बनाने का कार्य करती है। मानव समाज के सर्वांगीण विकास का मूलाधार शिक्षा ही है। भारतीय संदर्भ में जन–जातीय समाज शिक्षा के अभाव के कारण विकास एवं उत्थान की सीढ़ियों को चढ़ने से वंचित रहा है। भारतीय संविधान में ''अनुसूचित जनजातियों'' की संख्या अधिसूचनाओं के अनुसार 212 थी। अब यह लगभग 550 है।

महिला शिक्षा की आवश्यकता :

शिक्षा महिला समाज को आत्मविश्वासी एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। समाज में उच्च शिक्षित महिलाओं को इसके साथ–साथ सम्मान मिलता है। महिलाओं के साथ होने वाले शोषण, अन्यास, उत्पीड़न, असमानता जैसी नियोग्यताओं से उनको विलग करने का एकमात्र समाधान शिक्षा में विकास करना है। एम.ए. अंसारी के अनुसार ''राष्ट्रीय महिला आयोग का यह कर्तव्य क्षेत्र है कि वह भारतीय नारी को संगठित कर शिक्षा पाने की ओर प्रवृत्त होने को उत्प्रेरित करे, आर्थिक स्वलम्बन के साथ नारी में आत्मविश्वास उत्पन्न हो। ऐसी व्यवस्था करने की दिशा में प्रवृत्त हो। महिला–शिक्षा के लिए कार्य नीति बनाए जाने की कार्यवाही की गई है जिसके अन्तर्गत महिला शिक्षा संवर्द्धन उपाए किए गए है।

महिला शिक्षा पर अध्ययन :

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आलोक पांडेय ने पी.एच.डी. के शोध पत्र नवीन पंचायती राज व्यवस्था में चयनित आदिवासी क्षेत्रों की महिला ग्राम प्रधानों ने अपने क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य के विकास से संबंधित दायित्व के निर्वाह का अध्ययन किया है। सोनभद्र जिले के महिला ग्राम प्रधानों द्वारा संचालित आठ गांवो को चयनित किया गया। अध्ययन में पाया गया कि पंचायती राज चुनावों में यद्यपि युवा महिलाओं ने सफलता प्राप्त की, किन्तु जहां तक शिक्षा का प्रश्न है इन नवयुवतियों में इसका स्तर निम्न ही रहा। आदिवासी क्षेत्र के गांवो में विशेष रुप से महिलाओं में शिक्षा का अभी भी आभाव है। इसलिए महिला ग्राम प्रधानों में पर्याप्त शैक्षणिक ज्ञान के आभाव तथा विकास योजनाओ की तकनीकी जटिलताओं के प्रति अनुभिज्ञता के कारण स्वास्थ्य के विकास से संबंधित बहुत सी योजनाऐं गांवो में या तो क्रियान्वित नहीं हो पायी या यदि लागू हुई भी है तो अनुचित ढंग से लागू हुई।

डॉ. जी एल झारिया ने म.प्र. के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने पर पाया कि मध्यप्रदेश की औसत महिला साक्षरता की तुलना में जनजाति बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर बहुत कम है। विशेषकर बडवानी,डिंडोरी, धार और झाबुआ जिलों की स्थिति काफी चिंताजनक है। अनुसूचित जनजाति बहूल्य क्षेत्रों की साक्षरता दर का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता झाबुआ जिले में 36.9 प्रतिशत तथा सर्वाधिक साक्षरता 59.6 प्रतिशत मण्डला जिले में है। नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता मण्डला जिले में 85.2 प्रतिशत एवं सबसे कम 74.5 प्रतिशत धार जिले में है।

महिला शिक्षा में अवरोधक सामाजिक बाधाएं :

● धर्म की आड़ में महिला वर्ग पर पाबंदियां एवं पक्षपात ● लैंगिक विभेद ● रुढ़िवादी सामाजिक परिवेश ● जन जागरुकता में कमी ● ग्रामीण समाज में शिक्षा की असुलभता ● घरेलू कामकाज की बाधा ● पर्दा प्रथा, जैसी शोषणवादी कुरितियों की उपस्थिति ● महिला समाज की उत्पादक भूमिका को मान्यता न देना ● महिला रोजगार एवं शिक्षा के प्रति अरुचिपूर्ण वातावरण ● उच्च शिक्षा में न्यूनतम सहभागिता।

महिला शिक्षा में वृद्धि हेतु सुझावः

● महिला शिक्षा में वृद्धि के विशेष प्रयासों पर तत्काल कार्यवाही प्रारंभ की जाए ● महिला शिक्षा जागरुकता कार्यक्रमों में सुधार ● शिक्षा प्रसार के कार्यों में तीव्रता लाना ● शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में महिला सहभागिता को प्रोत्साहन देना ● महिला शिक्षा के सहयोगी सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करना ● जनजातीय सहभागिता से शैक्षणिक समस्याओं का समाधान निकाला जाए ● उच्च शिक्षा में महिलाओं की वृद्धि के सार्थक प्रयास।

आज शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के निर्माण में जनजातीय समाज की समस्याओं को महत्ता प्रदान कर नीतिया बनाई जानी चाहिए। जागरुकता लाने हेतु जन जागरण कार्यों में महिला वर्ग का साथ में रखने की सार्थक पहल की जानी चाहिए। इस सबसे जनजातीय महिला समाज सर्व शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होकर मुख्य धारा में सम्मिलित होगा। ❑

जल संसाधनों की वैश्विक स्थिति

आज जल विवाद कई देशों के मध्य संघर्ष का कारण बन गया है, ऐसे विवाद मुख्यतः तब होते है जब कोई देश या प्रदेश अपनी सीमा में आवश्यकता से अधिक जल का संचय कर लेता है फलस्वरूप ग्रीष्मकाल में यह दूसरे स्थानों पर जल भी कमी का कारण बन जाता है वर्षाकाल में दूसरी जगहों पर बाढ़ से तबाही भी ला देता है। इस संदर्भ में सर्वमान्य ऐसी वैश्विक नीति बनाना आवश्यक है जिससे कोई भी देश या प्रदेश उसकी जनसंख्या के अनुपात में एक निर्धारित सीमा से अधिक जल का नियंत्रण न कर सके तो शायद इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

■ डॉ. कुमकुम जैन

जल एक ऐसी बुनियादी आवश्यकता है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन सिर्फ जल होना ही पार्याप्त नहीं है इसका स्वच्छ होना भी स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। किन्तु यह एक चिन्तनीय विषय है कि विश्वस्तर पर जल विस्तार दूषित होता जा रहा है फलस्वरूप दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता हो पाता है।

वास्तव में जल प्रदूषण एक बड़ी वैश्विक समस्या है एवं जल स्रोत योजना के प्रत्येक स्तर के पुनः मूल्यांकन व संशोधन की आवश्यकता है।

जल प्रदूषण के कारण : अंतर्राष्ट्रीय जल परिषद द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन 20 लाख टन नालों में बहने वाला जल और औद्योगिक व कृषि कचरा जल स्रोतों में मिल जाता है इसकी मुख्य वजह है इस दूषित जल के उपचार की अपर्याप्त व्यवस्था। दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी यानि 1.2 अरब लोग खुले में शौच करते है। ग्रामीण इलाकों में यह अनुपात प्रत्येक तीन व्यक्तियों में से एक का है। दक्षिण एशिया में ऐसे लोगों की ग्रामीण आबादी 63 प्रतिशत है।

विकासशील देशों में 70 प्रतिशत अनुपचारित औद्योगिक कचरा पेयजल में घुलकर लोगों के घरों में पहुंच जाता है, खनन कार्य से भी नदियां प्रदूषित हो रही है। विकास के नाम पर बनने वाली बड़ी 227 नदियों की धाराओं को बाधित किया है जो कि कुल नदियों का 60 प्रतिशत है।

आज दूषित जल का सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है जल प्रदूषण बीमारियों व मृत्यु का सर्वव्यापी, सर्वाधिक बड़ा कारण है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत का सर्वाधिक जिम्मेदार दूषित जल ही है। दुनिया में होने वाली कुल मौतो में 31 प्रतिशत मौते अस्वच्छ जल और सफाई के अभाव के कारण होती है। दूषित जल के कारण प्रतिवर्ष 4 अरब लोग बीमारी के शिकार होते है एवं 22 लाख लोग की प्रतिवर्ष मौत हो जाती है। जिनमें अधिकांश 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते है।

रिपोर्ट के मुताबिक 15 प्रतिषत बच्चे डायरिया के कारण असमय मौत के शिकार हो जाते है। दूसरे शब्दों में प्रति 15 सेकेण्ड में बच्चा दूषित जल के कारण बीमारी का शिकार होता है। भारत में बच्चों में डायरिया का कारण दूषित जल ही है। डायरिया के अतिरिक्त हैजा, टायफाइड, पीलिया आदि बीमारियां भी बड़ी तादाद में मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है व मृत्यु का कारण बनती है।

नदियों व अन्य जल स्रोतों के जल में औधोगिक कचरे व रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के घुलने से जल कहीं अम्लीय और कहीं अति क्षारीय हो गया है नदियों के जल में भारी मात्रा में धातु घुल जाने से जल में मौजूद जैव विविधता पूरी तरह से खत्म हो रही है व ये नदियां किनारों पर रहने वाले लोगो के लिए संक्रामक बीमारियों की सौगात बन गई है। इस तरह सम्पूर्ण विश्व में शुद्ध पेयजल एक भीषण समस्या बन गया है।

आज जल विवाद कई देशों के मध्य संघर्ष का कारण बन गया है, ऐसे विवाद मुख्यतः तब होते है जब कोई देश या प्रदेश अपनी सीमा में आवश्यकता से अधिक जल का संचय कर लेता है फलस्वरूप ग्रीष्मकाल में यह दूसरे स्थानों पर जल भी कमी का कारण बन जाता है वर्षाकाल में दूसरी जगहों पर बाढ़ से तबाही भी ला देता है। इस संदर्भ में सर्वमान्य ऐसी वैश्विक नीति बनाना आवश्यक है जिससे कोई भी देश या प्रदेश उसकी जनसंख्या के अनुपात में एक निर्धारित सीमा से अधिक जल का नियंत्रण न कर सके तो शायद इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

जल का दुरूपयोग – दुनिया में हमारे देश सहित कई ऐसे देश है जहां नदियां व वर्षा जल पर्याप्त मात्रा में लेने के बाबजूद जल संकट का सामना कर रहे है। इसका प्रमुख कारण लोगों द्वारा पानी के महत्व को न समझकर अनावश्यक जल की बरबादी करता है। आवश्यकता से अधिक जल दोहन करने वाले देशों की सूची में भारत का नाम भी शामिल हो गया है। परिणामतः देश में उत्तर भारत के नई राज्यों के गंभीर जल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से तभी निपटा जा सकता है जब लोग इस संबंध में जागरूक हो और पानी का अपव्यय बंद कर उतने ही जल का उपयोग करें जितने की उन्हें आवश्यकता है। ❑

बेहतर स्वास्थ्य सुधारने के उपाय बढ़ाने होंगे

दुनिया में जरूरी दवाओं से वंचित सबसे अधिक लोगों की संख्या भारत में हैं। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार उनकी संख्या 64 करोड़ है। इससे स्पष्ट है कि भारत में दवा उद्योग के उचित नियमन की सख्त आवश्यकता है। पर कड़वी सच्चाई यह है कि हमारे देश का दवा उद्योग नियमित हो ही नहीं पा रहा है। इसका मूल आधार मरीजों की जरूरत नहीं अपितु मोटा मुनाफा है। इसके अतिरिक्त इसमें सरकारी स्तर पर लापरवाही भी बहुत बड़ा कारण है।

■ भारत डोगरा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में इस क्षेत्र में उपलब्धियों के जो आंकड़े जारी किए हैं, वे एक स्तर पर तो बहुत उत्साहवर्धक हैं क्योंकि स्वास्थ्य के अनेक महत्वपूर्ण सूचकों में बड़ी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। इन आंकड़ों को मानें तो हाल के वर्षो में बाल व मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। तपेदिक व मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों पर भी काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है और कुष्ठ रोग तो लगभग समाप्त ही हो गया है। पर दूसरी ओर जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अनेक विशेषज्ञ व कार्यकर्ता इन उपलब्धियों को स्वीकार करने में हिचक रहे हैं।

यह आंकड़े उनके आसपास की जमीनी हकीकत से मेल खाते नहीं दिख रहे हैं। उदाहरण के लिए बाल मृत्यु दर में कमी के लिए बाल कुपोषण में कमी और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में महत्वपूर्ण सुधार जरूरी है जो तमाम राज्यों में नजर नहीं आ रहा है। जरूरत इस बात की है कि प्रामाणिक आंकड़े ही सामने आएं ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों व कमियों दोनों का ठीक–ठीक आकलन हो सके। कारण, इसके बिना आगे की चुनौतियों का ठीक से सामना नहीं किया जा सकेगा।

इतना स्पष्ट है कि आधे–अधूरे, विदेशी दाताओं व बहुराष्ट्रीय कंपनियों या अन्य संकीर्ण हितों से जुड़े कार्यक्रमों से हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में जरूरी सुधार नहीं हो सकता है। इसके लिए और व्यापक बदलाव चाहिए, समग्र नीतियां व बेहतर नियोजन चाहिए। उदाहरण के लिए गांवों

में कितने डॉक्टर व पैरामेडिकल सुविधाएं चाहिए, इसके लिए काफी पहले से नियोजन करना होगा व इन जरूरतों के अनुकूल मेडिकल शिक्षा में बदलाव करना होगा। तभी तो गांवों में डॉक्टर व पैरामेडिकल सुविधाओं की जरूरत पूरी होगी। इसके बिना स्वास्थ्य व चिकित्सा की कोई बड़ी उपलब्धि संभव नहीं है। दूसरी ओर बहुत सेवाभाव से कार्य करने वाले डॉक्टर इस कारण निराश होते हैं कि कुपोषण व गरीबी के कारण उनके प्रयास ज्यादा आगे नहीं जा पाते हैं। सबसे व्यापक बदलाव तो खाद्य व पोषण उपलब्धि के संदर्भ में है क्योंकि यही बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद है। इसके साथ अन्य बुनियादी जरूरतों की उपलब्धि भी बेहतर स्वास्थ्य का आधार तैयार करने के लिए जरूरी हैं।

वैज्ञानिक स्तर पर यह भली–भांति सिद्ध हो चुका है कि बच्चों से लेकर वृद्ध तक अल्प–पोषण और कुपोषण से त्रस्त लोगों के गंभीर बीमारियों से प्रभावित होने के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। यह भी सच है कि जब भूख से कमजोर शरीर को गंभीर बीमारियां पकड़ती हैं तो ऐसे मरीज के ठीक होने की संभावना नगण्य होती है। बच्चों में तो यह स्थिति स्पष्ट नजर आती है। देश में आज भी कृषि और उससे जुड़ा

पशुपालन आजीविका का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत हैं। देश के अधिकतर किसान छोटी जोत वाले हैं। अतः यह बहुत जरूरी है कि देश की कृषि नीति छोटे किसानों के पक्ष में बनाई जाए ताकि उनकी आजीविका का आधार मजबूत हो सके। छोटे किसानों की कृषि उपज बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए, वह भी ऐसे तौर तरीकों से जिसमें वे महंगे व हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों आदि पर निर्भरता से बच सकें। यदि इस स्थिति को ईमानदारी से नियोजित करने करने का प्रयास होगा तो देश की आधी से अधिक आबादी को अपने ही खेत से पर्याप्त पोषण मिल सकता है। इन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। भूमि सुधार कार्यक्रम में तेजी लाकर भूमिहीन किसानों को भी कम से कम एक–दो एकड़ भूमि देने का पूरा प्रयास होना चाहिए। उचित पोषण के साथ साफ पेयजल की उपलब्धि भी स्वास्थ्य की बुनियादी आवश्यकता है।

साफ पेयजल पर्याप्त मात्रा में व इस तरह से उपलब्ध होना चाहिए कि उसके लिए किसी भी परिवार को अत्यधिक श्रम, समय या संसाधन न लगाने पड़ें। इसी तरह आवास व मोहल्ला स्तर पर सफाई की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं व दवाओं के साथ पोषण व स्वच्छता के जुड़ने से ही अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद तैयार होती है। स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध सरकारी बजट को बढ़ाना सबसे जरूरी है। तभी स्वास्थ्य सुधार के लिए जरूरी धन उपलब्ध हो सकेगा। लेकिन बढ़े हुए बजट के बारे में सख्त नियमों के साथ बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना होगा कि सरकारी पैसे का वास्तविक उपयोग किस तरह से हो रहा है। इस समय दवा व वैक्सीन क्षेत्र में मुनाफे की प्रवृत्ति बहुत हावी है।

वर्ष 2013 में नई दवा कीमत नियंत्रण आदेश आने के बावजूद अनेक महत्वपूर्ण दवाएं असहनीय हद तक ऊंची कीमत पर उपलब्ध हैं। देश में स्वास्थ्य (मुख्य रूप से इलाज) संबंधी 83 प्रतिशत खर्च मरीज के परिवार वाले करते हैं और मात्र 17 प्रतिशत खर्च सरकार वहद करती है। इस दौरान मरीजों का लगभग 70 प्रतिशत खर्च दवाओं पर होता है। देश में क्योंकि गरीबी व्यापक स्तर पर है और लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम है इसलिए बुनियादी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं कही जा सकती है।

दुनिया में जरूरी दवाओं से वंचित सबसे अधिक लोगों की संख्या भारत में हैं। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार उनकी संख्या 64 करोड़ है। इससे स्पष्ट है कि भारत में दवा उद्योग के उचित नियमन की सख्त आवश्यकता है। पर कड़वी सच्चाई यह है कि हमारे देश का दवा उद्योग नियमित हो ही नहीं पा रहा है। इसका मूल आधार मरीजों की जरूरत नहीं अपितु मोटा मुनाफा है। इसके अतिरिक्त इसमें सरकारी स्तर पर लापरवाही भी बहुत बड़ा कारण है। कुल मिलाकर दवा उद्योग के अनुचित तौर–तरीकों के कारण करोड़ों मरीजों व उनके सगे–संबंधियों को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। यह स्थिति पूरे देश की स्वास्थ्य स्थिति सुधारने में भी बहुत बड़ी बाधा है। अतः वर्ष 2013 के दवा कीमत आदेश में महत्वपूर्ण सुधार कर दवा की कीमतों के बारे को न्यायसंगत नीति बनाना जरूरी है।

इस संदर्भ में पेटेंट कानून में सुधार पहली जरूरत है क्योंकि जबसे विश्व व्यापार के नियमों से तालमेल के लिए इसमें बदलाव हुआ है तब से वह सस्ती दवाओं की उपलब्धि में बड़ी बाधा बना है। वैक्सीन में जो नए बदलाव प्रस्तावित हैं उन पर बहुत चिंतन की जरूरत है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने चाहिए। सरकारी क्षेत्र को दवा व वैक्सीन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखनी चाहिए। दवा उद्योग के निजीकरण व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हावी होने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगना चाहिए। व्यापक स्वास्थ्य सुधार के लिए गांवों को प्राथमिकता देना जरूरी है। गांव समुदाय की भागीदारी से चलने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अति महवपूर्ण हैं जिनमें बीमारियों व स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम, स्वच्छता व बेहतर पोषण सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाता है।

इस संदर्भ में नवम्बर 2013 में बीएससी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के कोर्स को स्वीकृति देने का जो निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है, वह सही है। इस तरह कुछ वर्षों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य के स्नातक देशभर में तैयार होंगे, उनकी नियुक्ति स्वास्थ्य उप–केंद्र स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में करने की योजना है। इससे ग्रामीण स्वास्थ्य में काफी सुधार हो सकता है। उचित नीतियां अपनाकर व इन्हें लोगों की भागीदारी से, उत्साह से क्रियान्वित कर शिशु, बाल व मातृ मृत्यु दर को तेजी से कम करने में सफलता मिल सकती है।

इसके लिए सबसे बड़ा प्रयास पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व महिला जागृति के रूप में करना है पर विषमताओं व असमानताओं को चुनौती देना भी जरूरी है। इस प्रयास को ऐसे राष्ट्रीय अभियान का रूप देना चाहिए जिसमें करोड़ों लोग उत्साह से जुड़ सकें। ❑

रपट

स्वदेशी एवं स्वावलम्बन के मार्ग पर चलना होगा

यूपीए सरकार की अमरीकी परस्त नीतियों के कारण देश की आर्थिक दशा आजादी के बाद सर्वाधिक खराब स्थिति में पहुंच गई है। आज स्वदेशी उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं और भारत दुनियाभर के विदेशी सामानों का सबसे बड़ा भण्डार बन गया है। आज बड़ी आर्थिक महाशक्तियों के इशारों पर चल रही नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को तुरंत बदलना जरूरी हो गया है। क्योंकि इससे देश को हर स्तर पर नुकसान हो रहा है। – प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

दिनांक 15–16 फरवरी 2014 को स्वदेशी जागरण मंच का दो दिवसीय प्रदेश सम्मेलन जोधपुर में शास्त्री सर्किल स्थित स्टील भवन सभागार में संपन्न हुआ।

सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्यवक्ता अखिल भारतीय सह संयोजक प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने कहा कि विगत एक दशक के दौरान यूपीए सरकार की अमरीकी परस्त नीतियों के कारण देश की आर्थिक दशा आजादी के बाद सर्वाधिक खराब स्थिति में पहुंच गई है। आज स्वदेशी उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं और भारत दुनियाभर के विदेशी सामानों का सबसे बड़ा भण्डार बन गया है।

उन्होंने कहा कि बड़ी आर्थिक महाशक्तियों के इशारों पर चल रही नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को तुरंत बदलना जरूरी हो गया है। क्योंकि इससे देश को हर स्तर पर नुकसान हो रहा है।

प्रो. भगवती ने कहा आज सरकार ने आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दों पर विस्तारवादी देश चीन के सामने घुटने टेक दिए है। दौलत बेग ओल्डी में चीन को घुसपैठ के मामले को जिस तरह निपटाया गया उससे देश के स्वाभिमान पर गहरी ठेस पहुंची है। देश की सुरक्षा पर होने वाला व्यय घट कर आज 1963 के स्तर पर आ गया है जिसके लिए वर्तमान सरकार पूरी तौर पर जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा आज हम 25 प्रतिशत कच्चा माल देते है और तैयार 75 प्रतिशत लेते हैं। इससे देश के हर क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे कुटीर लघु उद्योगों के साथ बड़े उद्योग भी बंद हो रहे हैं।

सम्मेलन में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. ओ.पी.एन कल्ला ने कहा कि देश की आर्थिक और सुरक्षा संबंधी वर्तमान स्थितियां चिंताजनक हो गई है तथा विशेष रूप से चीन देश की घटिया उपभोक्ता सामग्री हमारे देश के बच्चों तथा नागरिकों के स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल रही है। इसके लिए चीन में निर्मित वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए।

समापन समारोह में मुख्यवक्ता के रूप में राष्ट्रीय संगठन मंत्री कश्मीरीलाल ने कहा आज देश की राजनीतिक परिस्थितियों को सही करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का सही निरूपण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। भारत में शहरीकरण के कारण जीवन के विभिन्न मापदण्डों में बदलाव आया है हम सांस्कृतिक ह्रास की ओर बढ़ रहे है हमें जीवन मूल्यों को बचाये रखने के लिए स्वदेशी व स्वावलम्बन के मार्ग पर चलना ही होगा।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच अपने कार्यक्रमों से समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना हेतु प्रयासरत है आज हमें एक तरफ यहां विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आक्रमण को झेलना पड़ रहा है वहीं हम विभिन्न कलुषित विचारों के चलते अवमूल्यन की ओर बढ़ रहे हैं। हम हमारे व्यक्तित्व को तभी निखार सकते है जब हम देशहित की भावना के साथ आगे बढ़े।

सम्मेलन में भूपेन्द्र यादव ने स्वदेशी जागरण मंच की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता वास्तविक रूप से आर्थिक सामाजिक एवं राष्ट्रवादी सोच रखते हुए निष्काम भाव से जुटे हुए है तथा मंच द्वारा किए गए अध्ययन एवं अनुसंधान से शासन की रीति व नीति को प्रभावित करते है। उन्होंने कहा कि आज समाज के सामने बेरोजगारी, शहरीकरण, पर्यावरण आदि को लेकर चुनौतियां खड़ी है इनका समाधान केवल सामाजिक क्षेत्र में मंच जैसे संगठन समूहों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि महिलाएं हमारे परिवार एवं समाज की धुरी है एवं उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। अतः समाज के विभिन्न कार्यक्रमों एवं शासन की नीति निर्धारण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होना आवश्यक है।

मंच के प्रदेश संयोजक भागीरथ चौधरी ने कहा कि यह वर्ष स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रमों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है एवं इस वर्ष सभी जिला मुख्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वदेशी के प्रति वृहद जन जागरण के कार्यक्रम किए जाएंगे इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के दायित्वों की घोषणा भी की। सम्मेलन में राजकुमार चतुर्वेदी एवं धर्मेन्द्र दुबे प्रदेश सह संयोजक, जयसिंह शक्तावत प्रदेश विचार मण्डल प्रमुख, धर्मप्रकाश शर्मा सह प्रमुख, प्रदेश नेहवाल प्रदेश कोष प्रमुख, अतुल भंसाली प्रदेश सह कोष प्रमुख, डॉ. विजय वशिष्ठ प्रचार प्रमुख, संदीप काबरा प्रवक्ता, गोपाल सिंह भाटी संघर्ष वाहिनी प्रमुख एवं रविन्द्र जैन आदि प्रमुख रहे। अतुल भंसाली ने धन्यवाद ज्ञापित किय। संचालन अखिलेश गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में सतीश कुमार, राष्ट्रीय सह सम्पर्क प्रमुख डॉ. रणजीत सिंह, अनिल अग्रवाल, धन्नाराम जोगावत, विनोद मेहरा, ओमप्रकाश भाटी, जयंत माथुर, गजेन्द्र सिंह परिहार आदि गणमान्य उपस्थित थे। ❑